Chairman of the IMA in which Government had assured the World Bank that even in the fourth Plan there was no question of nationalisation of the mines. I wanted to know whether the Government have taken a decision like that, when that decision was taken and what about Parliament being consulted?

Shri B. R. Bhagat: I am sorry I could not trace that letter. But obviously the Government policy is what is stated by Government spokesmen on the floor of Parliament.

Shri Indrajit Gupta: Then why are such letters allowed to be written?

Shri B. R. Bhagat: I do not know; that is why I said I am not able to trace that letter. But Government policy about this is very clear. It is there in the industrial policy which has been stated in this House. More than that, no letter from anybody can substitute that policy of the Government.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: Clause-by-clause consideration. There are no amendments. I will put all the clauses together. The question is:

"That clause 2, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri B. R. Bhagat: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.53 hrs.

SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) AMENDMENT BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Shri P. S. Naskar): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956, be taken into consideration."

This is an amending Bill. The original Act was passed to provide for improvement and clearance of slum areas in certain Union Territories and also for the protection of tenants in such areas from eviction. Before I go into the details of the amending Bill, I will say something about the position of housing in our country generally. The most important things of life are food, clothing and shelter. I must say frankly that something tangible has been done in the last three Five Year Plans regarding food and clothing; but I do not think enough has been done about housing. So far about Rs. 950 crores have been sanctioned in the last three Plans, but the demand is more than Rs. 2,000 crores. Among the housing schemes, we give greatest importance to the social housing scheme and among social housing schemes, we attach the greatest importance to the slum clearance schemes.

As you know, the worst slums are to be found in the congested areas of big cities. The necessary powers required for the clearance and improvement of slums were taken by the Central Government when they enacted the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956. This Act covered the Union Territories. The Central Government also asked the State

[Shri P. S. Naskar]

Governments to enact suitable legislation and so far 9 out of 15 States have done so. The Central Government formulated the slum clearance schemes in 1956, which envisaged grant of financial assistance to the State Governments and to the local bodies to the extent of 75 per cent of the approved cost. After that, in 1958 a committee was set up under the chairmanship of Shri A. K. Sen, the Law Minister, to go into the details of the problem of slum clearance. The committee made certain recommendations. One of them was the increase in the grant element of the Central Government. Accordingly, the Central Government has increased the grant element in the assistance. The committee recommended that the Government should give priority to the big cities like Delhi, Calcutta, Kanpur, etc. Government accepted that and action is being taken in the matter. Also, they said Government should take up large-scale acquisition of land in the slum areas in different cities. The progress made, however, is not very satisfactory.

This amending Bill extends to the Union Territories. Up to date, this Act has been extended to Delhi and Tripura. I want to restrict myself to Delhi. In Delhi, so far 43 slum clearance schemes have been sanctioned with a provision of 28,000 units of houses at a cost of Rs 5.53 crores. As you know, Delhi is the metropolis of our country. It has been attracting a large number of people for some time. The partition of the country also added to its population. Since then certain other factors have come in and there is a regular and ceaseless flow of people to Delhi.

The people in the low-income group specially live in the slum areas. The tenements in which they live are very deplorable. The slum areas are abominable. Sometimes one can see human beings living with the cattle, horses and other animals. This is very deplorable. The slum clearance scheme is essentially humanitarian and is intended to ensure a minimum standard of living for the people who suffer from poverty. They deserve the sympathy of every one of us here. In view of the gravity of the problem, it is necessary to quicken the pace of slum areas to improve and rebuild the we should encourage the owners of slum areas to improve and rebuild the areas. Not only that. If they remove the sitting tenants, the sitting tenants should have the right of pre-emption to come back to the original building.

Amendments to the existing Act have been brought with special emphasis on these aspects. I must say that this is a non-contentious Bill with a laudable purpose and I would beg of the House to give its support to this Bill. The experience of the working of the original Act has revealed certain practical difficulties and certain amendments are necessary. It is, therefore, proposed to amend the existing Act to remove those difficulties in order to facilitate and quicken the slum clearance and improvement work, and to require the owners to restore the possession of the improved and re-developed premises to the previous tenants on payment of a reasonable rent and to give protection against eviction of tenants.

If you permit me, I want to go into the details of some of the clauses of the Bill. In the case of slum areas, the buildings may have to be demolished and reconstructed. Section 10 of the Act lays down that the owners should be given an opportunity to develop the area according to the plan approved by the competent authority. The authority has no power to develop the area itself immediately after passing the order. It can take up the development work only after 12 months from the date of the passing of the order. Sometimes the owner sits over it and does not do the work. So, an amendment is being brought forward so that the competent authority can take up the work.

14 hrs.

Similarly, Sir, there are a few other amendments which have been explained in the Statement of Objects and Reasons of the Bill. The main feature, I may say, is that this Bill will stop unauthorised building activity in slum areas. The competent authority will have the power to re-develop a clearance area before this work is commenced by the owner, if it is necessary in the public interest to do so. That authority will also be authorised to undertake re-development work itself if the owner re-develops the clearance area in contravention of the plans or delays the re-development work. It will be obligatory on the owners of slums, who take up improvement or re-development work of their property, to restore possession of the premises to the previous tenants in the improved or re-erected buildings at a concessional rent. Also, before any owner of a slum takes up proceedings for the eviction of tenants in the slum areas, he must have prior permission from the competent authority.

Sir, some of the amendments we are bringing forward are of a clarificatory or consequential nature. I do not want to make any long speech here. The original Bill was introduced in this House in 1956 by our then Home Minister, Shri G. B. Pant. I looked into the old records. I found that the original Bill, which is now an Act had the unanimous support of the House. When I read the proceedings then I found that there was no division and there was not even an amendment moved to any of the clauses.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): You want the same thing to be repeated here?

The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): We can't expect that from you.

Shri P. S. Naskar: So, Sir, as I said, this amending Bill is for the good of the people who are supposed to have not received so far, whatever may be the reason, a better treatment, and I do expect a unanimous support from this House.

With these words, Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 be taken into consideration."

There is an amendment for referring the Bill to a Joint Committee tabled by Shri Naval Prabhakar. I am told that the Government is likely to accept it.

Shri P. S. Naskar: We accept it.

Mr. Deputy-Speaker: He may move the amendment.

Shri Naval Prabhakar (Delhi—Karol Bagh): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 24 members, 16 from this House, namely:—
>
> Shri Dinen Bhattacharya, Chodhury Brahm Perkash, Shri Yudhvir Singh Chaudhary, Shri Ganapati Ram, Maharani Gayatri Devi of Jaipur, Shri Shiv Charan Gupta, Pandit Jwala Prasad Jyotishi, Shri Narayan Sadoba Kajrolkar, Shri Mehr Chand Khanna, Shri Mohan Swarup, Shri P. S. Naskar, Shri Kashi Nath Pandey, Shri M. Thirumala Rao, Shri Sidheshwar Prasad, Dr. P. Srinivasan and Shri Naval Prabhakar;
>
> and 8 from Rajya Sabha;
>
> that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

[Shri Naval Prabhakar]

that the Committee shall make a report to this House by the 9th December, 1963;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Raj- -abha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 8 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

Mr. Deputy-Speaker: Now, both the motion and the amendment are before the House.

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as the hon. Minister has stated, there can be no difference of opinion about the aims and the objects of such a piece of legislation. Every one of us would like to see our cities devoid of the slums and slum dwellers at the earliest possible moment. And, when we speak about the pitiable living conditions of the millions of slum dwellers, absolutely there is no difference in the language used, there is no dearth of pity and compassion or sympathy expressed for these dumb millions.

But, Sir, when it really comes to the examination of the performance by the authorities concerned, it is not at all possible for us to agree with the Government. It is not at all possible for us to congratulate the Government. On the other hand, we see that practically little has been done in the way of clearing the slums or improving the slums even in the capital city of our country.

The Government may argue that the situation in Delhi is particularly difficult as there was an inflow of refugees after Partition. We realise that it was a real problem for the Government and the authorities to meet. We all know that the rate of growth of population in the city of Delhi, being the capital of the country, is much more than perhaps in the other cities. It was of interest to notice that the city which had a population of only 60,000 or so during the days of Shahjahan has grown into a city of more than two million people during the last few centuries. That is all the more the reason why Government ought to have bestowed more attention on this city compared to many other places.

Sir, I am not trying to minimise the seriousness of the problem in the other cities. We know about Calcutta, Bombay and our other industrial cities where the problem is very serious. In the city of Calcutta there are, even according to certain estimates made by the Government in 1956, more than six lakh slum dwellers—perhaps this may even be an under-estimation—and out of these people 58.78 per cent have a monthly income between Re. 1 and Rs. 100. We can imagine the plight of these people having a monthly income of Re. 1, Rs. 10 or Rs. 15. In certain cities it is found that even upto 60 per cent of the population live in slums. I am not giving this figure by myself, I got this figure from the report of the Ashoke Sen Committee. They must have had some basis when they gave such a figure. It is estimated, Sir, that there are more than 1.15 million slum houses in our country and in Delhi alone, the estimate shows, there are 50,000 such slum houses—this is before the very eyes of Parliament, before the very eyes of the Ministry concerned.

I was trying to find out what had been done in this city. I do not have the latest figures, but I am told that up to 1962 the subsidized houses that were built in the city have come to nearly 5000. In a city of 50,000 slum houses if we could construct only 5,000 subsidised houses during the last 15

or 16 years, that does not at all go to the credit of this Government or the civic authorities in Delhi. It is really a shameful situation where we have to hang our heads in shame that even in the capital city where 50,000 slum houses are there, we could not implement the slum clearance programme very effectively even after the passing of the Act in 1956. Of course, the Minister was saying that the allotment was only Rs. 900 crores whereas what was necessary according to the calculations was Rs. 2,000 crores but, then, I would like to know whether those Rs. 900 crores were spent for the slum clearance and slum improvement. I hope the hon. Minister will give the latest figures when he replies to the debate.

The Asoke Sen Committee had recommended that over and above the allotments made in the Second Plan, since some six cities needed special consideration they should be allotted a further sum of Rs. 2 crores each. I would like to know whether that particular recommendation of the Committee had been accepted and implemented and, if so, whether the Rs. 2 crores allotted for Delhi had been fully utilized, if so in what way, how many slums have been cleared or improved, and how many buildings were re-constructed and newly-built. Here I would like to impress upon the Government that we are not at all satisfied with the performance of Government in this field. I know that he will plead there are not enough funds, there are other difficulties, the State Governments, manicipalities or corporations have to do the real work, he can only give schemes but, then, the Asoke Sen Committee had pointed out that in spite of the provision for grant or loan from the Central Government to the extent of 75 per cent the balance contribution of 25 per cent was not forthcoming from various States Governments and, therefore, the contribution from the Centre should be increased. So, it is very disheartening to see that schemes for slum clearance and slum improvements are not going ahead with the speed which we all desire.

Coming to the amending Bill, most of the new amendments proposed in this Bill are welcome. I particularly welcome the amendment of my hon. friend, Shri Naval Prabhakar, to refer the Bill to a Joint Committee because if the Joint Committee considers the various proposals and deliberates over them, it can improve the Bill by plugging the loopholes, if there are any.

Generally, owners of land or buildings in the slums are not often interested in the improvement or the clearance of the slums because even without that they are getting quite a good amount of money. By spending nothing, they are earning a lot of money. So, they naturally think: "why should we worry about the condition of the slum dwellers and invest any money for the improvement of the slums?" and do nothing about it. So, it is very necessary for the Government to come into the picture and the civic authorities or the corporation will have to take over the clearance or improvement of the slums. I fully agree that the Government should be empowered with the necessary powers for doing such work, especially when the slum owners neglect to carry out the various schemes that are proposed by the competent authority.

After the clearance of the slum, it very often happens that the owner of the land or building would like to increase the rent. So, it is a laudable attempt on the part of the Government to have subsidised rent for all those who were already living there.

Shri P. S. Naskar: It is there.

Shri Vasudevan Nair: I know. I am only welcoming those provisions in general. In the name of subsidised rent he will have to pay, besides the original rent that he was paying, 7½ per cent of the improvement

[Shri Vasudevan Nair]

charges and 7½ per cent of the compensation price of the land, if any land is purchased. Perhaps, Government might have made some calculations and come to the conclusion that the subsidised rent will be lower than the usual rent fixed by the Rent Controller for a new house. I would like to know whether this is the minimum that can be fixed or there is any possibility of reducing it still further.

Shri Mehr Chand Khanna: We are taking only the acquisition cost and not the market value of the land.

Shri Vasudevan Nair: That is true. I am sure the Government will agree with me that the attempt should be to see that the slum dwellers, whose income is very little or practically nothing, are not overburdened. I do not know what the Government can do in this matter; perhaps, they can give some grants or loans for clearance and improvement of slums.

I hope the Joint Committee will go into all these problems and when the Bill comes back before the House they will be able to report that a smaller amount will be due from the slum dwellers even after clearance and improvement of slums. I hope the Joint Committee will do some useful work and the Bill will come before the House again as a more progressive measure, if it is possible. I hope this piece of legislation will strengthen the hands of Government to go ahead with slum clearance programmes with more speed and vigour.

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, गंदी बस्तियों में सुधार और सफ़ाई के लिए मंत्री महोदय जो विधेयक लाये हैं उस का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है यह बिल वैसे तो स्वागत के योग्य है किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। यही समझ कर के मैंने इस को प्रवर समिति को सौंपने के लिए आग्रह किया है और उसका प्रस्ताव किया है।

श्रीमन्, दिल्ली में काफ़ी लम्बे अर्से से गंदी बस्तियां बनी हुई हैं। पार्टीशन से पहले भी जो हमारा दिल्ली शहर है, चांदनी चौक और उस के आसपास का जो इलाक़ा है वह एक प्रकार से गंदी बस्ती थी। उस समय भी जो इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट थी वह सोच रही थी कि किस तरीक़े से इस गंदी बस्ती का निराकरण किया जाये। उन्होंने अजमेरी गेट योजना के नाम से एक योजना बनाई और उस को कार्यान्वित करने की कोशिश की गई। किन्तु बजाये इस के कि वह योजना उन लोगों के लिए बनाई जाती, जो कि वहां रहते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकायें खड़ी कर दी गईं और वे जमीनें बड़ी बड़ी कीमतों पर बेच दी गईं। वहां पर रहने वाले लोगों को वहां से हटा कर—मैं ग़लत नहीं कहता—पांच पांच, छः छः, सात सात मील दूर भेज दिया गया। मैं यह चाहता हूं कि जो ग़रीब आदमी गन्दी बस्तियों में रहते हैं, गन्दी बस्तियों को साफ़ कर के जहां तक सम्भव हो सके, उन को वहीं बसाने की कोशिश की जाये। सिद्धान्त में यह बात हो सकती है, मगर जब इस को प्रयोग में लाया जाता है, तो एक दूसरी ही स्थिति दिखाई देती है और मुझे अजमेरी गेट स्कीम की बात याद आ जाती है। मैं चाहता हूं कि अधिकारीवर्ग, जिन को कम्पीटेंट एथारिटी कहा गया है, अजमेरी गेट स्कीम की तरह से इन टर्म्ज़ में न सोचने लगें कि यह कीमती जगह है, यहां से ज्यादा पैसा आ सकता है, इस लिए सरकार इस को एक्वायर करे और एक्वायर करने के बाद अपनी योजना बनाए। मैं चाहूंगा कि जो भी योजना बनाई जाये, जैसी इस बिल की मंशा है, जैसे इस बिल के भाव हैं, उन के अनुरूप ही उस को कार्यान्वित किया जाये।

इस में साढ़े सात परसेंट की बात कही गई है। आज-कल जो लोग सरकारी जगह पर, गन्दी और बस्तियों में जिस जगह को गन्दी बस्ती घोषित कर दिया गया है, वहां बैठे हैं, उन को वहां से हटाया गया है। न्यू मोतीनगर के नाम से एक जगह बनाई गई है और वहां पर

उन को ले जाया गया है। मैं चाहता हूं कि जैसे सरकार ने कुछ सहायता दे कर सब्सिडाइज़्ड रेंट तय किया है, अगर इन बस्तियों को, जिन को हम आगे जा कर साफ़ करना चाहते हैं और जिन का सुधार करना चाहते हैं, उसी आधार पर रखा जाये, तो अच्छा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के ज़माने में तो कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ज़मीनों की कीमत आज-कल के मार्केट-रेट से नहीं लगाई जायेंगी। लेकिन जो उस पर स्ट्रक्टर होगा, उस की कीमत भी इतनी हो जायेगी कि उस का साढ़े सात परसेंट उन गन्दी बस्तियों में रहने वाले नहीं दे पायेंगे।

पचास, साठ साल से जो एक आदमी चांदनी चौक, बल्लीमारां या लाल कुंआ के किसी मुहल्ले में रहता है, वह डेढ़ दो रुपये महीना देता है। आज भी उसकी ऐसी अवस्था नहीं है कि वह उस से ज्यादा दे सके। ऐसी अवस्था में साढ़े सात परसेंट अगर लगाया गया, और उस की कीमत बीस, पच्चीस, तीस रुपया बन गई, तो मैं समझता हूं कि उस के लिए दे सकना बहुत ही असम्भव हो जायगा। फिर जब वह ऐसी जगह में नहीं रह पायेगा, तो वह दूसरी जगह गन्दी बस्ती का निर्माण करेगा और वहां पर और कोई नये आदमी आ जायेंगे। मेरा निवेदन है कि जो भी किराया उन के लिए निश्चित किया जाये, वह ऐसा होना चाहिए, जो वे लोग अच्छी तरह से दे सकें और जिसे देने में उन को कोई परेशानी न हो सके।

माननीय श्री ए० के० सेन ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके बाद भारत सरकार ने दिल्ली के लिए दो करोड़ रुपया दिया। इस बारे में पार्लियामेंट में कई बार सवाल किये गए। दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर, इन छः शहरों को छांटा गया था कि वहां पर गन्दी बस्तियों का सुधार किया जायेगा। किन्तु दिल्ली का तो मुझे ज्ञात है बाकी शहरों का मुझे पता नहीं है—कि दुजाना हाउस के नाम से जो एक स्कीम थी, वह आज तक पूरी नहीं हुई। इसी तरह जहां जहां जो जो भी कोई योजना बनाई गई, वह आज तक पूरी नहीं हुई।

मेरा निवेदन है कि यह बिल प्रवर समिति को चला जाये और वहां पर इस के तमाम पहलुओं पर विचार किया जाये। मैं यह भी चाहूंगा कि प्रवर समिति इन बस्तियों में जाये और वहां के लोगों के स्टैंडर्ड को देखे और फिर उस के बाद यह तय करे कि वे इतना किराया दे सकते हैं या नहीं और उन के लिए किस तरह की सुविधायें पहुंचाई जा सकती हैं।

माननीय मंत्री जी ने इस में अमलेदारों का ज़िक्र किया है। अमलेदारों की अवस्था बहुत ही दयनीय है। अमलेदार उन को कहते हैं, जो किसी ज़मीन के मालिक की ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं और उस पर जो स्ट्रक्टर होता है, उस को वे स्वयं अपना पैसा लगा कर बनाते हैं। आज हालत यह है कि ज़मीन के मालिक यह चाहते हैं कि अमलेदारों को, जो पच्चीस तीस साल से उन की ज़मीन पर अपना मकान बना कर बैठ हुए हैं, निकाल कर बाहर कर दिया जाये, क्योंकि जो ज़मीन पहले दो आने गज थी, आज वही २०० रुपय गज हो गई है। ज़मीन के मालिकों को लालच हो गया है और वे चाहते हैं कि अमलेदारों को निकाल दें। मैं समझता हूं कि आज-कल हमारे यहां की कचहरियों में ज्यादातर जो मुकदमे चल रहे हैं, वे इसी तरह के चल रहे हैं, जिन में अमलेदार और ज़मीन-मालिक का झगड़ा है और स्लम का झगड़ा है। स्लम्ज़ का एक अलग महकमा भी बना हुआ है। उस में भी भागदौड़ मची हुई है।

मैं चाहता हूं कि इस बिल को हम कुछ इस तरह का बनायें, जिस में कि उन लोगों को, जो कि इन गन्दी बस्तियों में रहते हैं, पूरी पूरी राहत मिल सके। वह राहत तभी मिल सकती है कि जब भी जो भी क्षेत्र हम लें, जो कोई योजना हम हाथ में लें, बजाये इस के कि वह किसी राजनीतिक पहलू या एपरोच से देखी

[श्री नवल प्रभाकर]

आने लगे, या उस के सम्बन्ध में राजनीतिक दबाव डाला जाने लगा और उस के कारण वह योजना ठप्प हो जाये और फिर दूसरी योजना प्रारम्भ की जाये और उस में भी वही बातें आ जायें, हम तय करें कि उस योजना को पूरा किया जायेगा और उस क्षेत्र को साफ़ किया जायेगा, चाहे कैसे भी दबाव आये। उस क्षत्र को साफ़ किया जाये और साफ़ करने के बाद वहां के रहने वालों को राहत पहुंचाई जाये।

जो पुरानी बस्तियां हैं, जिन को हम गन्दी बस्तियों के नाम से पुकार रहे हैं, वहां न तो कोई स्कूल हैं और न कोई पार्क हैं। नागरिक जीवन की कोई भी सुविधा वहां पर नहीं है। आप पुरानी दिल्ली में चले जाइये। कार्पोरेशन का जो दफ़्तर है, उस के सामने जो बाग़ है, वही नाम-मात्र का बाग़ है। बाकी सारे बाजार में आप घूम लीजिए, कहीं कोई छोटा-मोटा पार्क भी देखने का नसीब न होगा। इस अवस्था में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ इस तरह का प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि वहां पर जिन लोगों को हम बसाते हैं, बिठाते हैं, उन के लिए पार्क हों। वहां पर स्कूल के लिए अगर जगह नहीं है, तो स्कूल के लिए भी हम जगह का प्रबन्ध करें। इस के अतिरिक्त डिस्पेंसरी आदि का भी हम प्रबन्ध करें और जितनी भी नागरिक सुविधायें हैं, वे वहां पर उपलब्ध की जायें।

मैं चाहता हूं कि यह जो इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति को भजने के लिए मेरा पस्ताव है, वह स्वीकार किया जाये। इस में सोलह नाम लोक सभा के सदस्यों के हैं। मैं चाहूंगा कि आठ नाम राज्य सभा के आ जायें और दोनों हाउसिज़ के सदस्य इस पर विचार करें और विचार करने के बाद में आशा करता हूं कि जो ग़रीब आदमी आज इन गन्दी बस्तियों में बैठ हुए हैं, और इस एसी अवस्था में बैठे हुए हैं कि जो देखी नहीं जा सकती है, उन के सुधार और उद्धार के लिए वास्तव में प्रयत्न किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो संशोधन के रूप मेंइस सदन में लाया गया है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु एक दो बातें मैं बड़े ही दुख के साथ कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि १५ अगस्त १९४७ के बाद से इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आज भी प्रायः बड़े बड़े शहरों में हज़ारों की तादाद में एसे इंसान मौजूद हैं जिन के रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जाड़ा गर्मी बरसात सभी मौसमों में वे गंदी बस्तियों में रह कर आसमान के साये के नीचे रह कर अपना गुज़र बसर करते हैं। यह एक बड़ा गम्भीर विषय है। यह कहा जाता था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो मनुष्य के जीवन की जो अत्यन्त आवश्यक वस्तुयें हैं जैसे, रहने की उचित व्यवस्था, पहनने के लिए उचित वस्त्र और दवा दारू का उचित प्रबन्ध, वे सभी को प्राप्त होंगी। कहां इन में से कोई भी लोगों को प्राप्त हुई है।

जहां तक गन्दी बस्तियों का सम्बन्ध है, दिल्ली में ही नहीं बल्कि हमारे देश के सभी बड़े बड़े शहरों में यह एक गम्भीर विषय बन गया है। इसने व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है। यह संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। जिस प्रकार से वे लोग रहते हैं उसको देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत में ऐसे भी नागरिक हैं जो इतनी बुरी तरह से और इतने बुरे वातावरण में रह रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, सभी मौसमों में खुले प्लेटफार्म पर, गन्दी बस्तियों में, बड़ी बड़ी सड़कों के किनारे, वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस विषय की गम्भीरता के अनुरूप हमारी

सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है । जो विधेयक संशोधन के रूप में पेश हुआ है इससे किसी तरह का कोई भी रिलीफ उन लोगों को मिलने नहीं जा रहा है ।

आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं, उन में अधिक अधिकतर संख्या ऐसे लोगों की है जिन के ऊपर एक बड़ा जबर्दस्त आर्थिक संकट है, जो किसी प्रकार से भी ऐसी हैसियत नहीं रखते हैं कि वे किराये के मकान ले कर, उनके अन्दर रह सकें । अब आप यह सुविधा देने जा रहे हैं कि जो मालिक हैं मकानों के गन्दी बस्तियों के अन्दर, या जो मालिक हैं, ज़मीनों के वे अपनी इच्छा से बिला अधिकार उन लोगों को हटा कर किसी प्रकार का भवन निर्माण नहीं कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वह संख्या जो गन्दी बस्तियों में रह रही है अधिकतर ऐसे लोगों की है जिनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वे अदालत में जा करके किसी प्रकार का कानूनी चाराजो इस विषय में कर सकें ताकि उनकी व्यवस्था रहने की सुरक्षित रहे । इस संशोधन में यह सुविधा तो दी गई है परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया है कि ऐसे निर्धन जिन के पास पैसे नहीं हैं, जो गुरबत के कारण गन्दी बस्तियों में आबाद हो गए हैं, आया वे इस काबिल भी हैं कि कानूनी शरण लेकर मालिकान के मुकाबले में अपने हक में फैसला करा सकेंगे । मुझे बड़ा शुबहा है कि इस बात का ध्यान रखा गया है ।

यह जो इतना गम्भीर विषय है गन्दी बस्तियों को साफ करने का और उनका पुनर्निर्माण करने का, इसको इस प्रकार से संशोधन के रूप में ला कर हल नहीं किया जा सकता है । मुझे याद है आज से कई वर्ष पूर्व जब हमारे प्रधान मंत्री जी कानपुर पधारे थे और वहां पर उन्होंने गन्दी बस्तियों को देखा था तो उनके ये शब्द थे कि मैं यह चाहता हूं कि इन तमाम गन्दी बस्तियों में तुरन्त आग लगा दी जाए, इन सब को फूंक दिया जाए, और कोई साधारण व्यवस्था इस प्रकार की की जाए कि एक स्वतंत्र देश का मानव, एक स्वतंत्र देश का नागरिक कम से कम साधारण जीवन एक मनुष्य का व्यतीत कर सके । उन्होंने भी इस बात को अनुभव किया था कि ठंड में किस तरह से इनमें रहने वाले लोग ठिठुरते हैं, ठंडी हवा से बचने के लिए उनको भी एक साये की आवश्यकता हं ती है । जब प्रधान मंत्री ने यह कहा तो इस दिशा में कुछ कदम उठाये गये ; बहुत से लेबर क्वाटर्ज बने, सरकार की ओर से निर्माण कार्य किये गये । परन्तु होता क्या है, इसको आप देखें । में जानता हूं कि उनका जो किराया रखा गया है, वह सस्ता रखा गया है । फिर भी उनका दुरुपयोग हो रहा है । जैसे मैंने निवेदन किया है गुरबत के कारण, निर्धनता के कारण वे थोड़ा किराया भी नहीं दे सकते हैं जोकि सरकारी भवनों का निर्माण होने के बाद निर्धारित किया गया है । नतीजा इसका यह होता है कि बड़े बड़े आदमी छोटे मजदूरों के नाम पर और गरीब कर्मचारियों के नाम पर उनको एलाट करवा कर उन में रहने लग जाते हैं और रह रहे हैं । इस बात को हृदयंगम करने की आवश्यकता है कि गन्दी बस्तियों में रहने वालों की कोई हैसियत नहीं है, उन की कमाई के कोई साधन नहीं है । देखा जाना चाहिये कि आया उनकी आमदनी कुछ हो रही है या नहीं हो रही है । अगर आप आज नए भवनों का निर्माण गन्दी बस्तियों में करा लेंगे और फिर निर्माण में जो लागत लगी है, उसके अनुपात से उसका मासिक किराया ही निर्धारित कर देंगे, तो में आपको विश्वास दिलाता हूं कि गन्दी बस्तियां एक जगह से हट कर दूसरी जगह पर खिसक जायेंगी । यह सराहनीय कार्य सरकार का होता अगर कुछ गन्दी बस्तियों जो हैं और ये जो लोग रह रहे हैं, उन सभी की एक जांच कराई जाती और जांच कराने के बाद देखा जाता कि किस प्रकार से उन लोगों को एक साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए सरकार की ओर से रहने का साधन मुहैया किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि इस में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता

[श्री गौरीशंकर कक्कड़]

है । अशोक सेन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनो और जिस की सिफारिश यह हुई कि प्रत्येक बड़े शहर में कम से कम दो करोड़ रुपये की आवश्यकता है, वह धन नहीं लगाया गया । फिर भी जो भी चीज की जाए स्लम क्लीयरेंस के सिलसिले में, गन्दी बस्तियों को साफ करने के सम्बन्ध में, उस में सब से पहले सरकार इस बात का ध्यान रखें कि अधिकतर ऐसे लोग हैं जो न तो खुद किराया दे सकते हैं और न ही उनकी इतनी हैसियत है कि वे किराया देने का प्रबन्ध कर सकें । जब वे कमाते नहीं हैं तो चाहे आप थोड़ा से थोड़ा किराया भी क्यों न रखें, कम से कम मासिक किराया भी क्यों न रखें, उनकी हैसियत किराया देने की नहीं है और न ही हो सकती है जैसे हालात आज हैं, उन में । इस संशोधन का नतीजा कुछ नहीं होने जा रहा है । उनको किसी प्रकार का रिलीफ़, किसी प्रकार की राहत आप देने नहीं जा रहे हैं । यह बड़ा ही विचारणीय विषय है कि उनको किस प्रकार से राहत दी जाए ।

मैं समझता हूं अगर सरकार के द्वारा सबसिडी यानी अनुदान देने की बात हो और उसके अन्तर्गत ऐसे भवनों का निर्माण हो जिनमें लागत कम लगे और रहने की सुविधायें ज्यादा हों, तो वाकई में वह एक ऐसा कदम हो सकता है जो कि गन्दी बस्तियों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है ।

एक प्रश्न और है । जहां तक खेती का सम्बन्ध है, कृषक का सम्बन्ध है, हमारी सरकार ने और राज्य सरकारों ने प्राय: इस सिद्धान्त को माना कि जो जोतता है, वह भूमि का मालिक बना दिया जाय, और इसी के आधार पर बहुत से माल के कानून बनाये गये । मैं नहीं समझता कि अगर एक आधार को एक जगह पर लागू किया गया कि जोतने वाला भूमि का मालिक और स्वामी बना दिया जाये, तो वही आधार गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये क्यों नहीं अपनाया जाता है ।

Shri P. R. Patel (Patan): Please do not extend the philosophy further.

श्री गौरीशंकर कक्कड़ : They should. तो मेरा यह निवेदन है कि गन्दी बस्तियों में जो निर्धन लोग रहते हैं, जिन का उस पर कब्जा है, और वे बराबर यहां पर रहते चले आ रहे हैं, क्या उनके विषय में यह कदम नहीं उठाया जा सकता कि उनको अधिकार दे दिये जायें कि जिस तरह से वे वहां रह रहे हैं वहां वे मालिक के तौर पर रहें । इसमें कुछ कठिनाई होने की बात है, परन्तु अगर एक बार सरकार यह सिद्धान्त मान लेती है तो वह इस प्रकार का कानून बना सकती है, और मैं समझता हूं कि कानून के बनाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये ।

होता यह है कि बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होता है, और इस युग में जब प्राय: निर्माण के काम हो रहे हैं, एक एक ब्लाक में इमारतें जो बनाई जाती हैं उनमें इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है । अगर आप देहाती क्षेत्र में जायें और निर्माण के कार्यों को देखना चाहें कि वहां कितनी उन्नति हुई है तो आप ब्लाकों में बने हुए भवनों को देख लें । उसके आगे और कोई निर्माण का काम आप को नहीं मिलता है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ सन्तुलन होना चाहिये और सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि भवनों के बनाने में भी कुछ समता हो । ऐसा न हो कि एक इमारत के बनाने में करोड़ों रुपये खर्च हो जायें और जब निर्धन, गन्दी बस्तियों के रहने वालों का प्रश्न हो तो वहां पर साधारण से साधारण इमारत का भी निर्माण न हो ।

इसीलिये जो संशोधन सरकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उन में मैं सिर्फ एक चीज जरूर देखता हूं कि अभी तक जो सुविधायें

थीं, मालिक लोग मनमाने ढंग से इमारत बनाने के बहाने से जो लोग रहते थे उन को बेदखल कर दिया करते थे उसमें कुछ प्रतिबन्ध और रुकावट पहुंची है । परन्तु जैसा अभी मैंने आपसे निवेदन किया, इस प्रकार का प्रतिबन्ध हो जाने के बाद भी वास्तव में आप गन्दी बस्तियों को साफ नहीं कर सकते और गन्दी बस्तियों में रहने वालों को आप किसी प्रकार का आराम नहीं पहुंचा सकते, जब तक कि आप, जैसा कि अभी एक संशोधन आया है, एक ज्वायेंट कमेटी बने और इस पूरे मसले पर गौर हो जाये, उनकी हैसियतों के आंकड़े ले लिये जायें, और फिर उस आधार पर सरकार की तरफ से गन्दी बस्तियों में भवनों का निर्माण न करें, जिससे उनको सुविधायें मिल जायें । अगर ऐसा जायं होता है तो वह अवश्य एक हद्द तक सन्तोषजनक होगा, वर्ना इस तरह के संशोधन विधेयक से यह गन्दी बस्तियां कभी भी हमारे देश से साफ नहीं हो सकतीं ।

Shri P. R. Patel: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Bill and I am glad that it goes to the Select Committee and I hope the Select Committee will consider all the suggestions made here.

The slums prevail everywhere and so in the Capital of India, in Delhi, the slums should be ideal. And they are. If you go to old Delhi and see the narrow streets and also houses without proper ventilation, you will find the dirty smell coming out from all sides. This is the state of affairs of the old Delhi. Compare old Delhi with New Delhi. One is aristocratic Delhi and the other is socialist Delhi. We are talking of socialism for the last 15 years. What about the conditions of old Delhi? Have we given a thought to it? We have passed a legislation and I ask: have the conditions of the people living there improved? Those people living there are not having well-ventilated houses. Shall we be able to do this by passing this Bill? I am sorry to tell you that we shall not be able to give anything to the people of Delhi. But we shall be giving them all the hope that some day they will be having well-ventilated houses and big and open streets.

I have gone through the various clauses of this Bill. As they stand, I may tell you that there will be no improvement because we are talking of the present rent. No doubt, we should stick to it. Then, on whatever improvement is done, on whatever amount of money is spent, you are giving him seven and a half per cent interest. If the whole slum is demolished and new construction is done, in that case for the cost of construction and the price of the land, you are promising him 7½% interest. Now, if you invest money in the open market, without investing the money on the construction of houses, you get 9 per cent and more. If you deposit it in a good bank, you get a good return. Do you think that the owners of these slums will ever spend a pie in the improvement of the slums?

An Hon. Member: No.

Shri P. R. Patel: Then are, we not giving false hopes to the tenants living in old Delhi?

I would suggest an alternative. In New Delhi, we have got bungalows and big compounds. Those people living in slums do not have sufficient air and here the persons living in bungalows have got vast compounds. Why don't you give that area of the compound round about the bungalow to those persons who want to construct their own houses? Why don't you do that? I ask: do you mean business? If you mean business and you have the mercy for those persons living in slums....

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : आप समाजवाद चाहते हैं । लेकिन इनको तो उससे विरोध है ।

Shri P. R. Patel: I would suggest that those big compounds and

[Shri P. R. Pael]

orchards—they can have orchards 10 miles or 15 miles away from Delhi—should be given to the tenants to construct their own houses and you will find that they will be happy. Is there anything in this Bill which would do that?

There is also one other thing. I am of opinion that this question can be solved if Government and the Municipal Corporation both mean business. They must construct their own chawls and they must rent them out at a reasonable rent. I think that that is the way of solving the problem. The Municipal Corporation should construct every year some fifty or hundred or two hundred chawls and rent them to the poor tenants who are living in the slums, and that is the way of clearing the slums. But are we doing it? That is the question. Government also must do a similar thing, but that is not being done. It is true that in some big cities, some chawls are being built no doubt by Government and also by the municipalities, but that is only negligible. A large number of chawls should be constructed.

In Delhi, the problem is not one of building, but of the site to construct the building on, and Delhi with a population which is much less than that of Bombay has more square miles than Bombay. It is costly also to go from one place to another in taxi in Delhi, whereas in Bombay, it is cheaper to do so.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Then, why has my hon. friend come here?

Shri P. R. Patel: It is for the sake of the company of my hon. friend Shri D. C. Sharma that I have come here.

In Delhi, the plan must be to have multi-storeyed buildings, and that is the only way of solving this problem here. The multi-storeyed buildings will be less costly as compared to separate buildings, and, therefore, they should be constructed.

For new constructions, it is good that the plan and the estimates will be put before the Auhority, sufficient space will be provided for ventilation and other things including playgrounds etc., and from that point of view, this Bill is a good Bill.

But, when I think of the slums of Delhi, that is, dwelling slums, I feel that Government would be aware of political slums and social slums in Delhi. I am of the opinion that we must clear slums from every corner of Delhi.

Shri Ram Sewak Yadav: Not slums, but asylums.

Shri P. R. Patel: The reason why I am saying this is this. Delhi is the heart of India, because Parliament is here, and the Government is here. If the heart is clean, and if the blood circulates well, then the whole body will be all right. The origin for whatever slums we find outside, is here. I am glad that this Bill has been introduced to remove those slums.

I would add one more thing. Our country does not consist only of Delhi, Bombay and Kanpur. Our country consists of scattered villages, and nearly 80 per cent of the people live in villages. I would like to know from the hon. Minister whether he has any idea of the slums in the villages, and in the rural side.

Shri D. C. Sharma: He has never been to a village; he has all along been in Delhi.

Shri P. R. Patel: Here, in Delhi, human beings live together. But in villages, a human being has to stay with cattle, either a buffalo or a bullock. I might say for the knowledge of the hon. Minister that even a honeymoon is enjoyed in such slums.

Shri Mehr Chand Khanna: The professor is feeling jealous.

Shri P. R. Patel: He wants to enjoy a honeymoon, but he cannot.

Shri D. C. Sharma: So does the hon. Minister.

Shri P. R. Patel: If you go to the villages, you will see from the figures that more than 60 per cent of the people in the villages live in one room.

I had been in my constituency recently, and I had occasion to visit the Kahipur village, and a man came to me and told me 'Please hear my difficulty.'. I asked him what his difficulty was. He said 'At night, I have to sleep outside'. I asked him why. He said 'A son and his wife, another son and his wife are sleeping inside, and it is a small house, and, therefore, I cannot sleep inside'; and, therefore, the poor father has to pass the night outside.

Shri Sonavane (Pandharpur): During winter also?

Shri P. R. Patel: During winter and also monsoon. This is the condition prevailing in the villages.

An Hon. Member: It seems that the hon. Minister is not concerned with villages.

Shri P. R. Patel: I would request the Government through you, Sir, that they should do something in regard to this matter. I know that they cannot do anything through this Bill.

Shri Mehr Chand Khanna: I am glad that the Finance Minister is here to listen to this.

Shri P. R. Patel: I am glad the Finance Minister is here, and I know that he is sympathetic to the rural side of the country. For his knowledge, I would say that the first thing that should be done is to remove the slums from the villages. There are so many slums in the villages, hundreds of them in every village.

In conclusion, I would say one thing, that we first create trouble by having these slums and then we go to the doctor and take medicine. This is the condition in the cities. We do not develop industries or vocations or professions in the villages, but we are having everything centralised here. We attract people from the villages to the cities, and, therefore, slums are created here.

Take, for instance, the case of Ahmedabad. When I was studying in Ahmedabad....

An Hon. Member: That is, about sixty years ago.

Shri P. R. Patel: It is true that I am grown up now, but when I was studying in Ahmedabad, the population of Ahmedabad was about one lakh, but today it exceeds 12 or 13 lakhs. What was the population of Delhi or the population of Bombay, for that matter, fifteen years back and what is it today? After Independence, what is it that we have done?

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) Increased the population.

Shri P. R. Patel: We have centralised everything in the cities, and, therefore, the village people are coming to the cities, and in the process, slums are created, and then we start thinking of clearing the slums. Is it not our fault that these slums are there today?

15 hrs.

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं स्वागत करता हूं। कहा गया है, और यह बात सही भी है, कि बड़े शहरों में स्लम्स, झोंपड़ियां, तो पहले से भी हैं। दिल्ली के बारे में भी कहा गया है

[श्री ह० च० सोय]

कि पार्टीशन के पहले भी यहां स्लम्स थे श्रौ बाद में भी बनते जा रहे हैं। अब तक सरकार स्लम्स को क्लियर करने के सम्बन्ध में पूरी सफलता नहीं पा सकी है। मगर सवाल यह है कि नये शहर जो बन रहे हैं, खास कर मेरा इशारा उन नये औद्योगिक शहरों की ओर है जो बनाये जा रहे हैं जैसे कि रूरकेला आदि के बनाने की अभी हाल में योजना बन रही है। वहां तो पहले से स्लम्स नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि नये शहरों को बसाने में एसी योजना बना कर उनको बसाती कि वहां स्लम्स पैदा नहीं होते लेकिन दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हो रहा है और वहां भी स्लम्स पैदा होने लग गये हैं।

उदाहरण के लिये रूरकेला को ही ले लीजिये। वहां से जो लोग हटाये गये हैं उन्हें वहां से ५० मील दूर बाहर ले जाया गया है। अब हो यह रहा है कि जिन मज़दूर और गरीब लोगों को जो कि पहले से रूरकेला में थे और जिनको अब सरकार ने वहां से ५० मील दूर ले जाकर डाल दिया, वे फिर रोजी के कारण वहां लौट जाते हैं और झोंपड़ियां बना कर रहने लगते हैं। उचित तो यह था कि सरकार ने जो पैसा उन्हें वहां से हटाने के लिए मुआविज़े की शक्ल में दिया था, प्रोजेक्ट ऐथारिटीज को चाहिए था कि उन्हें वहीं कोई जगह देते। इससे उन्हें सुविधा भी होती और वह स्लम्स भी पैदा नहीं होते। जो गलती रूरकेला में सरकार ने की वही गलती रांची में भी की गई और जमशेद पुर में भी वही गलती की हुई पाते हैं। इसलिए मेरा अपना सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि सरकार अभी भी इससे सबक ले और नये शहरों को जो बसाया जा रहा है वहां तो कम से कम उन पुरानी ग़लतियों को न दुहराये।

एक बात यह है कि पहली प्रथम पंच-वर्षीय योजना और दूसरी योजना के आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि हाउसिंग स्कीम्स को पूरा करने में सिर्फ रुपये की ही कमी नहीं है बल्कि जो मकान बनाने वाले हैं, विभिन्न एजेंसियां हैं उनमें ज़रूरी समन्वय और कोआर्डिनेशन भी नहीं है। सरकार द्वारा हाउसिंग प्रोग्राम को कई हिस्सों में किया जा रहा है। कुछ तो स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट्स खुद करती हैं, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग की हैं जिनको कि इंडस्ट्रियल ऐम्पलायर्स करते हैं और कुछ हाउसिंग की स्कीम्स कोआपरेटिव हाउस बल्डिंग सोसाइटीज़ के द्वारा की जाती हैं। देखा यह गया है कि इंडस्ट्रियल ऐम्पलायर्स को ७५ सैकड़ा सबसिडी मिलने पर भी वह हाउसेज़ बनते नहीं हैं। इंडस्ट्रियल मज़दूरों के लिये जो मकान बनने होते हैं वे बनते नहीं हैं। इस सम्बन्ध में जो कानून हैं, मैं चाहता हूं कि उनका कड़ाई से पालन हो।

एक चीज यह भी देखने की है कि दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में, यहां पुराने किले से लोगों को हटाते हैं, वहां से उनको हटाते इसलिये हैं कि स्लम्स को साफ़ किया जाय और इसलिये भी ऐसा करते हैं कि उस इलाके में मजदूरों के लिये जो नये मकानात बनने चाहिएं, उनके लिए जगह काफ़ी नहीं है लेकिन जरा दिल पर हाथ रख कर यह सरकार सोचे कि जो वर्तमान ज़मीन हमारे पास में है उसका उपयोग क्या हम ठीक तरीके से कर रहे हैं? उसका उपयोग आज जिस तरीके से किया जा रहा है? आज क्या यह हकीकत नहीं है कि हर एक बड़े मंत्री या सेक्रेटरीज़ के जो सरकारी बंगले होते हैं उनमें २० से २५ एकड़ ज़मीन यूं ही फ़ालतू पड़ी हुई है? मिनिस्टरों के बंगलों को देखा जाय उनमें ५०-६० एकड़ ज़मीन यूं ही बेकार में पड़ी हुई है। क्या एक समाजवादी शासन व्यवस्था में इस तरीके से इन्तजाम होगा? मैं तो चाहता हूं कि इस तरह से जो काफी ज़मीन एवेलेबुल है, और फालतू

पड़ी है उसका इन तरीकों से दुरुपयोग न हो। इस फालतू जमीन का उपयोग मजदूरों के लिये मकान बनाने के लिये किया जाये। कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में जहां कि बड़े बड़े महल नजर आते हैं, दरअसल वह स्लम्स ही हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारी को हम लोग ले लें। जिस तरह से हमने जमींदारी और जागीरदारी को ले लिया उसी तरह से मैं चाहता हूं कि सरकार लिविंग स्पेस को नेशनलाइज करे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में जरा गम्भीरतापूर्वक सोचे और इसका कंट्रोल किया जाय कि एक व्यक्ति कितनी लिविंग स्पेस ले सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों को रखते हुए मैं चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी से पास किया जाय और कार्य रूप में लाया जाय।

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): In the Statement of Objects and Reasons, it has been said that the Bill is proposed to facilitate and quicken slum improvement and clearance work. So in our observations we are expected to give certain suggestions so far as the specific object of the Bill is concerned.

My hon. friend, Shri P. R. Patel, has raised some basic questions which fall beyond the competence of this Bill. Shri Mehr Chand Khanna's name appears at the end. He is supposed to be the Mover of the Bill. A great landowner, a sturdy Pathan, a man of strong commonsense and also innate humaneness, he one day found himself simply uprooted, stateless and homeless, and wandered into some desolate places where he did not know how to find a root. He went from Delhi to Calcutta and came back to Delhi and today represents New Delhi constituency in this House. There is nobody more competent to share the feelings of the people who have had their cup of agony to the full because of their uprootedness. A society which is built up today in this form of uprootedness, or rather rootlessness, does not give a happy picture.

An authority on housing connected with some very big institution was telling me the other day that everywhere in the world this form of slums appears—a necessary accompaniment of modern civilization. I am reminded of the strong sentiments expressed by Pandit Jawaharlal Nehru in Kanpur. He wanted to ignite the slums into a conflagration, thereby creating a sense of urgency in the hearts of the people directly concerned with municipal affairs. It refers not only to Kanpur. There is the KABAL—Kanpur, Agra, Banaras, Allahabad and Lucknow. These are the five cities of UP which are termed as KABAL. Then there are Madras, Calcutta, Bombay and other places which present a very sad and dismal spectacle.

But the problem today does not concentrate itself within the confines of the urban areas. I would invite anybody to go to the industrial area with which fortunately I am now getting myself acquainted. The term Dhowra is a technical one, applicable to residences of workers. I say why not call it *jehanum*. These are the places where the people are expected to live days and nights and work in the collieries. They are called Dhowras, and houses are being now built under very big schemes with Rs. 4—5 crores placed at the disposal of mining welfare organisations to replace these.

Indeed, it is a problem both of the rural and urban areas. When one has to take up this problem, one has to understand it in all its entirety, in its bareness, and then try to solve it. Here a reference has been made to an Act passed in 1956. I understand the late-lamented revered leader, Govind Ballabh Pant, sponsored the Bill. As an MLA in this very city, where we had had to deal with the uprooted millions from the other side

[Shri P. R. Chakraverti]

of India—now West Pakistan. I have had my experience of how people had to take their shelter in those small huddled tenements, called *khokas*. And when I went to the city namely Calcutta, which is represented by the Deputy Minister himself, I found again the same story of displaced persons coming from the side to which I also belonged, namely, East Bengal. Only pavements of the city were available to them for shelter, *e.g.* in Sealdah, Howrah and all those places.

So people are accustomed to live in tacles, which face us when we want to deal with the urban question, do not by themselves minimise the problem which also faces the other 82 per cent of the population, to whom Shri P. R. Patel was referring. It is really an acute problem and it has to find its solution. The problem cannot be left to take care of itself.

Shri Naval Prabhakar was mentioning about a certain *gandi bustee*. There is a famous *nallah* called *ganda nallah* which I found for the first time when I had to go there to find some shelter for our displaced persons. *Ganda nallah* and *gandi bustee*—these are technical terms, which are not *sugandh;* they are *durgandh*.

So people are accustomtd to live in an environment which never gives any idea of minimum standard of living. It is practically a sub-human form of existence. It is not that cattle, goats or donkeys are there with whom they have to share the room. 18 people, some of them married, some not, have to be huddled together in congested areas because there is no space to live.

When we took up the question of 6 lakhs of people, uprooted from West Pakistan, who have fortunately today been rehabilitated in this capital, this was a really serious problem, and because it was the capital, this problem took an accute shape. Everyday there were daylight processions and other demonstration were going on. It drew the attention of the Parliament and the Assembly and some solution was arrived at. But what about the other places? The other day, we visited Calcutta, Bombay and Madras. Leave aside Ahmedabad or Hyderabad and the other areas which we had to traverse. What a sorry spectacle it presented! We are speaking at the topmost voice that we are looking into this problem, we are finding a soluion. What is this socialistic pattern of society? What about the innate human feeling in us prompting us to do something for the suffering millions? It is a question we have to ask ourselves? It is not a question that Shri P. R. Patel poses before Shri Mehr Chand Khanna, but it is a question that we have to ask ourselves only. Have we been serious enough to tackle this problem, ignominious and terrible?

I would not leave it merely with the solace, as pointed out by one gentleman, that it is necessary accompaniment of a materialistic civilisation. It is not. Also in the villages, people, especially the Harijans, tribals and other so-called backward people, are accustomed to living in such bad conditions, and we are told that they do not like a change. This is a form of psychic malady which is now conditioning the minds of the people who have been accustomed to live a life below the standard of human existence, a life worse than that of any animal, which is now taken care of in Delhi itself by the affluent section. We are told that they would not like a change from that form of living. Undoubtedly, it is a very big issue which has to be discussed amongst us, and then some solution has to be found out.

But here is an attempt which, as the Statement of Objects and Reasons very clearly states, is to bring about an amendment to the Act passed in 1956 only to facilitate the objectives

which have been accepted, and thereby give them a little scope to introduce a better form of life through slum improvement.

Some suggestions have been put forward by Shri Naval Prabhakar, and they deserve attention because he is a man who belongs to the area, who is rooted in the soil, who knows how these people, especially the Harijans, are suffering in the crowded area where he comes from. Naturally, if the objects of the Bill are to be really purposeful, we cannot bypass these factors and say that nothing can be done at this stage, and that it is an urban problem. It is not so. Originally, Delhi being a Union Territory, some attempt was made to deal with this problem, but today that is not sufficient.

In answer to a question by me last year, Shri Mehr Chand Khanna said that 22,000 squatters were there in the city of Delhi and that there might be more. What about Calcutta, Bombay and other places? My hon. friend on the other side put it at five lakhs. I know that in Calcutta the number would be much more. The slum areas where people below the income of Rs. 100 per month live, are really horrible and one can guess the miserable plight of the residents there.

But these factors should not take us away from the essential question which is posed by this amendment, and, as such, I would request the Members to focus their attention on the clauses in the Bill. I am sure the Select Committee, which has been proposed on behalf of Government, will go into the details of the problem and try to find out if any improvement can be suggested besides those made on the floor of the House.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपोजीशन का मतलब यह नहीं है कि जो भी कहा जाये, उस को अपोज किया जाये । अगर कोई बात सुधार और अक्ल की आये, तो उसका समर्थन भी करना चाहिये । जब तक हमारी गन्दी बस्तियों का सुधार नहीं होगा, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है । हमारे लाखों भाई उन में बसे हुए हैं, जो मजबूर हैं और जिन का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है । इसलिये सरकार ने यह बिल ला कर उन के सुधार के लिये पूरी कोशिश की है और इसलिये मैं इस का समर्थन करता हूं । गरीब लोगों का तभी सुधार हो सकेगा, जब इन बस्तियों को मिटाया जायेगा । अगर इन बस्तियों को न हटाया गया, तो उन के बच्चे भी बीमार होंगे और वे खुद भी बीमार होंगे ।

इस बारे में कुछ दिक्कत ऐसी आ रही है, जिस को एक दूसरी लाइट में लिया जा रहा है । मान लीजिये कि कीमतें बढ़ गई हैं । तो जिस की कीमत बढ़ी है, उसे क्रेडिट देना पड़ेगा । आज से बीस साल पहले मैं जिस बैल को पचास रुपये में खरीद कर लाया था, आज उस को आठ सौ रुपये में खरीद कर लाता हूं । हर एक चीज की कीमत बढ़ी है । यह किसी के बस की बात नहीं है । हां, गवर्नमेंट को ऐसा कंट्रोल रखना चाहिये कि कोई बेजा मुनाफा न कमा सके । हम लोग पहले जेलखाने की मुसीबतें उठा रहे थे और आज पालियामेंट के मेम्बर बन गये हैं । तो यह कोई दलील नहीं है कि हमें दोबारा जेल खाने की मुसीबत में डाला जाये, हम को फिर सीखचों में बन्द किया जाये । जिस इंडिविडुअल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी के लिये हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, यह पालियामेंट जिस की गार्डियन है, जिस की कुर्सिये-सेदारत पर आप रौनक-अफरोज हैं, उस में इस बात की इजाजत नहीं है, हमारे किसी ला में ऐसा प्राविजन नहीं है कि हम किसी की कीमत को कम कर सकें । हां, गरीब आदमियों को फैसिलिटी मिलनी चाहिये । ऐसा न हो कि

[श्री यशपाल सिंह]

गरीब आदमी को उजाड़ा जाये और बड़े आदमियों के लिये अच्छा सामान तैयार कर लिया जाये।

नौशेरवां बादशाह को अपने महल के लिये जगह की जरूरत थी। उस ने एक बुढ़िया से कहा कि तुम अपनी झोंपड़ी खाली कर दो। बुढ़िया रजामंद नहीं हुई। बुढ़िया को कहा गया कि हजार लो, लाख लो, लेकिन उस बुढ़िया ने इन्कार कर दिया और कहा कि जिस तरह से बादशाह को अपना महल प्यारा है, उसी तरह मुझे अपनी झोंपड़ी प्यारी है। नौशेरवां ने वह जगह ऐसे ही छोड़ दी और वह महल आज तक उस जगह से टेढ़ा बना हुआ है। इसी लिये आज तक उसकी कीर्ति और यश है। किसी गरीब आदमी को परेशान कर के अमीर आदमियों के लिये कोई अच्छे सामान पैदा करना हमारे राष्ट्र को शोभा नहीं देता।

इसलिये जरूरत इस बात की है कि इस काम को आहिस्ता-आहिस्ता किया जाये। ऐसा न हो कि पहले तो सरकार लाखों को उजाड़ दे और फिर उस को बसाने का काम शुरू करे। जो दो सौ, पांच सौ, एक हजार की तादाद में लोग विस्थापित किये जायें, पहले उन को बसाया जाये और फिर दूसरा बैच लिया जाये। इस तरह से अलग अलग हिस्सों और टुकड़ियों में ले कर उन लोगों को बसाया जाये।

मुखालिफ में जो गुण हों, उन को मानना चाहिये। हम भगवान् राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इस लिये कहते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन के गुणों को भी माना था। जब रावण मर रहा था, तो उन्होंने लक्ष्मण को यह कहा कि रावण दुनिया का सब से बड़ा विद्वान है, वह चारों वेदों का पण्डित है, उस के पास जा कर उस के पैर छुओ और उस के कदमों में बैठ कर कुछ विद्या प्राप्त करो। उस वक्त रावण ने लक्ष्मण को यह विद्या दी थी : "शुभस्य शीघ्रम्", अर्थात् जो काम करना है, उसे तुरन्त करो, कल पर न छोड़ो। मुखालिफ से भी कुछ सीखना चाहिये। मिस्टर जिन्ना ने यह कहा था कि पहले चेंज आफ पापुलेशन हो जाये, उसके बाद पाकिस्तान डिक्लेयर हो। उस वक्त यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज आ रही है।

मेरी अर्ज यह है कि पहले एक, दो हजार को लेकर डिस्प्लेस किया जाये और फिर उन को बसा कर दूसरी टुकड़ी ली जाये। यह बात सब से जरूरी है। हां बढ़ते हुए किराये गरीब आदमी नहीं दे सकता। जिस को कुल साठ रुपये तन्खवाह मिलती है, वह साढ़े पच्चीस रुपया किराया नहीं दे सकता। यह जरूरी है कि इस के लिये इन्तजाम किया जाये और गरीब के बसाने के लिये सामान महय्या किया जाये।

इस के साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अगर गुणों की कद्र नहीं की जायेगी, अगर दुनिया में काम की, परिश्रम की, उद्योग की इज्जत नहीं की जायेगी, तो समाज नहीं उठ सकता। राजपूतों का राज्य इसी लिए खत्म हो गया कि पन्ना धाय के नाम से वे एक मन्दिर नहीं बनवा सके। जिस पन्ना धाय ने अपना बेटा कटवा कर राजपूत सन्तान को जिन्दा रखा, वे उस के नाम का कोई शहर नहीं बसा सके, उस के नाम का कोई दरवाजा नहीं कायम कर सके। गुणों की कदर होनी चाहिये।

माननीय पुनर्वास मंत्री, श्री मेहरचन्द्र खन्ना, ने जो काम किया है, वह इतना बड़ा काम है कि उन के सिवाय दूसरा आदमी नहीं कर सकता था। एक करोड़ इन्सानों को बसा देना— खुद अपनी बीमारी में, जब कि डाक्टरों ने मना किया हुआ था कि रात को मत जागो, फिर भी रात को दो दो बजे तक जाग कर एक करोड़ इन्सानों को बसा

देना कतई मामूली काम नहीं है। देश भक्ति के जरिये से ही वह काम हो सका। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कोई मिलटरी जनरल नहीं थे। वह आई०सी०एस० थे। आई०सी०एस० को इतना भी पता नहीं होता है कि बूट पट्टी कैसे बांधी जा सकती है। लेकिन उन्होंने देश भक्ति के सहारे, सारे संसार को एक बे मिशाल आर्मी खड़ी करके दिखा दी। अगर माननीय मेहर चन्द जी खन्ना यह सोचते कि पहले मैं खुद तन्दुरुस्त हो लूं और खुद बस लूं तब दूसरा काम करूं तो हर्गिज़ वह इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे। मैंने एक किताब में यों पढ़ा था :

धीमी न हो चिरागे मुहब्बत में रोशनी।

दिल को जला जला करके उजाला करेंगे।

यह चीज अगर किसी पर चरितार्थ होती है तो हमारे रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर के ऊपर सच्चे अर्थों में चरितार्थ होती है जिन्होंने खुद बीमारी की हालत में और खुद डिसप्लेस्ड होते हुए भी एक करोड़ इंसानों का इंतजाम किया। अगर भारत रत्न का कोई मुस्तहिक है तो वह माननीय मेहरचन्द्र खन्ना जी हैं। हमें आशा है कि उनके हाथ से कोई काम ऐसा नहीं होगा जिससे गरीब के हितों का नुकसान हो, जिससे विस्थापित लोगों के हितों को ठेस पहुंचे, झुग्गी झोंपड़ी वालों को नुक्सान पहुंचे। जिस खूबी के साथ उन्होंने एक करोड़ इंसानों को बसाया उसी खूबी के साथ वह इन झुग्गी और झोंपड़ी वालों का मसला भी हल करेंगे ऐसी हमें उन से आशा है।

मैं समझता हूं कि जब तक छोटे आदमी को किराये में रियायत नहीं दी जायगी, राहत नहीं दी जायगी, जब तक गरीब आदमी को बसाने के लिये जगह नहीं दी जायगी तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। यह कमी जरूर रही है इस एमेंडमेंट में कि इस में देहात का नाम नहीं है। जो देहात के लोग हैं, उनको बसाने का इंतजाम नहीं हुआ है। हमारे माननीय पटेल साहब ने कहा कि लाखों आदमी एसे हैं देहातों के अन्दर जो आज भी गाय के साथ सोते हैं भैंस के साथ खाते हैं, बारिश में सोते हैं सर्दी में बाहर सोते हैं। उनको बसाने का कोई इंतजान नहीं किया गया है। इस एमेंडिग बिल में यह प्राविजन होना चाहिये कि यह सारे देश पर लागू होगा और जो देहात की पब्लिक है, खास तौर से किसान हैं, मजदूर हैं, उनको बसाने का पूरा इंतजाम किया जायगा। गांधी जी कहा करते थे कि गांव इस देश की आत्मा हैं। वह कहा करते थे कि इस देश की रूह जब तक नहीं जगेगी इस देश की स्पिरिट नहीं जगेगी, तब तक देश नहीं बस सकता है। अस्सी प्रतिशत जो लोग देहातों में रहते हैं, उनके रहने का इंतजाम किया जाना चाहिय, उनको बसाने का इंतजाम किया जाना चाहिय।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि गरीब आदमी से ज्यादा किराया नहीं लिया जायेगा और बेजा तरीके से उसको उजाड़ा नहीं जायगा।

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): Sir, I rise to support this Bill and while supporting I should say that this a problem in the cities as well as in the rural areas. It is such a big problem that the steps that are now taken on a small scale cannot do away with it. Lakhs of people in cities and villages have no shelter and if we have to solve this problem we have to revitalise our building activities. Every Government servant should have a quarter or a hutment built by Governmnte; every factory owner should be asked to give some shelter to his employees. The other institutions should provide shelter to its employees.

The slum problem is not only a problem of shelter: it is a problem of health, of hygiene. A number of widespread and epidemic diseases emanate from the slums; these slums one not only a nuisance and danger to

[Shri M. L. Jadhav]

the slum dwellers but to the rest of the population. In that respect, I welcome this Bill. But I feel its implementation is not being done properly. It is very necessary that the measures suggested or the other amendments should be implemented properly so that proper relief may come to the slum dwellers.

In that light, there are a number of problems faced by people undertaking building activities. The first problem is land: the land acquisition is with the revenue department. Then the other points are: whether land is suitable for building purposes, whether water facility is there; whether other facilities are there etc. There is the problem of the P.W.D. whether construction is possible, what material is required and so on. So many departments are concerned. Unless some efficient machinery is found to co-ordinate the activities of these departments together, there will not be proper building activity. For private builders also there is dearth of material; bricks and cement are not available. Permits are not issued in time or delayed and one has to spend some money for getting permits. There is blackmarket. We have to overcome these difficulties and then alone we can make progress in building activity.

The slum problem is a huge problem. Our population is growing; we were 38 crores at the time of Independence and now we are 45 crores. Building activities are not at all commensurate with the increase in population. At this rate we cannot do away with these slums. The Select Committee and the Government should consider how to overcome the difficulties I have mentioned and people should be given the materials needed. This will give an incentive to private owners to have more buildings and that will help in the solution of this problem of slum clearance. With these remarks, I support the measure before the House and request that the problem may be dealt with on war footing.

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार का विधेयक सदन के सामने आता है तो मुझ जैसा आदमी धर्म संकट में पड़ जाता है कि इसका समर्थन करे या विरोध करे। क्योंकि रूप तो सुन्दर होता है और मन भी बहक जाता है लेकिन जब आत्मा के अन्दर घुसने की कोशिश की जाती है तो लगता है कि वही साधु रूप धारण करके रावण कहीं सीता को तो ठगने नहीं आया है ? मुझे तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है और मैं चाहता हूं कि मैं उसे माननीय मंत्री महोदय को आपके द्वारा सुना दूं :

मुख मलिन तन सुन्दर कैसे
विष रस भरा कनक घट जैसे ।

जब गन्दी बस्तियों के सुधार और सफाई का यह कानून पेश है तो मुझे डर लगता है और मैं आपको अपना भय बता दूं कि कहीं उनके अन्दर रहने वाले गरीबों की सफाई न हो जाये। जो मूल समस्या है जिस को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि बड़े शहरों में जो गन्दी बस्तियां में रहने वाले लोग हैं उन को अच्छी जगह बसाया जाय। गन्दी बस्तियों में रहना कौन पसन्द करेंगे। जो गरीब होंगे, जिनके पास ज्यादा किराया देने के लिये पैसा नहीं होगा, वही ऐसी जगहों में जायेंगे। यह समस्या केवल दिल्ली या जो पांच, छः शहर बतलाये जाते हैं, वहां ही नहीं, बल्कि सारे देश के दूसरे शहरों में और देहातों में भी है। उन लोगों को बसाने की बहुत बड़ी समस्या है, और यदि हम को इस समस्या को हल करना है तो हमें इस दिशा में ठीक से चलना पड़ेगा।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि दिल्ली में किसानों से या और

लोगों से जो जमीनें अर्जित की जाती हैं वह कम पैसे से, लेकिन अर्जित करने के बाद वह ज्यादा पैसे में बेची जाती हैं, जिस का फायदा केवल पैसे वाले लोगों को मिलता है। जो गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जो बिना जमीन के हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, इस से उन का फायदा नहीं होगा। एक सवाल ऐसा भी उठा कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं, उन्हें इस का फायदा पहुंचेगा। यह बात देखने में बड़ी सुन्दर है, लेकिन जब जमीन की नीलामी की बात आती है तो इस का सीधा मतलब होता है कि जो अधिक पैसा देगा उसी को वह भूमि मिलेगी। इसी तरह से कुछ ऐसे लोगों को भी बड़े लोगों ने पाल रखा है जो उनके लिये दलाली करते हैं और उस जमीन को नीलाम में लेते हैं। इस का भी फायदा बड़े लोगों को ही पहुंचता है। जब तक इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान नहीं जायेगा और उन सब का समावेश विधेयक में नहीं किया जायेगा तब तक इस विधेयक का लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग सुधार के नाम पर, सफाई के नाम पर, पानी की व्यवस्था करने के नाम पर, रोशनी की व्यवस्था करने के नाम पर, बेदखल किये जायेंगे। इस के लिये यह शर्त है कि अगर वे चाहें तो उन्हें फिर वहीं बसाया जाये। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक उन को कहीं और भी तत्काल बसाने की व्यवस्था न हो जाये तब तक उन को वहां से न उजाड़ा जाये। क्योंकि अगर इस तरह की शर्त इसके साथ नहीं आ जाती है तो उस का नतीजा यह होगा कि सफाई के नाम पर, उन के सुधार के नाम पर, उन को बेदखल कर दिया जायेगा। वे कहीं न कहीं जा कर रहेंगे जरूर। जब वे रहने की व्यवस्था कर लेंगे तो उन के लिये सुधार कितने दिनों में होगा, सफाई कितने दिनों में होगी, वे मकान कब तक तैयार होंगे, इस तरह की कोई चीज विधेयक के अन्दर नहीं, इस के लिये कोई तिथि नहीं, कोई अवधि

नहीं। उन लोगों के कहां और बस जाने के बाद मान लीजिये कि मकान बन भी जायें, उन का सुधार भी हो जाये, तो यह जिम्मेदारी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी या शासन में जो होता है, उन के ऊपर नहीं है कि वे स्वयम् कोई तिथि निर्धारित करें कि मालिक हो या सरकार, वे उस के अन्दर मकान बनायें और खुद बना कर तत्काल उन में उन को बसायें, बल्कि यह जिम्मेदारी हटाये हुए लोगों पर डाली गई है कि वे खुद मुकदमे करें, इस बात के लिये दख्र्वास्त दें कि हम को उस मकान के अन्दर रखा जाय फिर से। इन सब चीजों का एक ही नतीजा निकलेगा कि वे लोग वहां से हट जायेंगे और हट जाने के बाद फिर कहीं कोई गन्दी बस्ती आबाद करेंगे, कहीं चले जायेंगे, उन को वह जमीन वापस मिलने वाली नहीं है, न उन को वह स्थान मिलेगा।

इसी तरह से इसमें एक और भयंकर चीज है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी या कुछ लोग यह समझें कि वह स्थान रहाइश के लायक नहीं है, किसी और चीज के लिये उपयुक्त है, तो वह जमीन आदमी को नहीं मिलेगी। इतना जबर्दस्त एक हथियार दे दिया जाता है, जिस के सहारे वह जमीन लौट कर उन को मिलने वाली नहीं है। तीसरी चीज इस में यह है कि इस में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन का सुधार से सम्बन्ध है गन्दी बस्तियों में जैसे पानी की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, पाखाने की व्यवस्था और नालियों की व्यवस्था। जितने कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटियां हैं, उन के ऊपर एक जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर होती है, और वह यह कि मोहल्लों में रोशनी का इन्तजाम करें, पीने के पानी का इन्तजाम करें, नहाने का इन्तजाम करें, पाखानों का इन्तजाम करें या नालियों की व्यवस्था करें।

एक माननीय सदस्य : पार्कों का भी।

श्री राम सेवक यादव : पार्कों का भी। लेकिन इस के लिये कभी कोई मोहल्ला नहीं

[श्री राम सेवक यादव]

उजाड़ा गया, कोई और बात नहीं हुई। मगर वहां पर इसके लिये क्या व्यवस्था है। यह जो सारी चीजें दी गई हैं, अगर उन को सुधारा नहीं जाता और यह व्यवस्थायें नहीं की जातीं तो उन जमीनों को जहां पर लोग रह रहे हैं हासिल किया जायेगा। अगर वह खुद की जमीन है तो कोई सवाल नहीं है हासिल करने का, और अगर किसी दूसरे की जमीन है तो सरकार उसे हासिल कर लेगी।

इस में जो मुआविजा देने की बात कही गई है, उस के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि संविधान संशोधन विधेयक के लिये एक संयुक्त समिति बैठ रही है, जिस में गांवों की जमीन हासिल करने के लिये कानून में व्यवस्था हो रही है कि मुआवजे के बारे में कोई आदमी अदालत में उसे चैलेंज नहीं कर सकता है। इसी तरह की कोई व्यवस्था शहरों की जमीनों के लिये क्यों नहीं होती, क्यों कि अगर इस तरह से मुआवजे दिये जायेंगे, जो कि बाजार भाव हों, तो उस का सीधा नतीजा होगा कि गरीबों का सफाया हो जायेगा। अव्वल तो मकान बनते ही नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाय तो उन का किराया बढ़ जायेगा और बढ़े हुए किराये में जो गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वे आना पसन्द नहीं करेंगे। नतीजा यह होगा कि गन्दी बस्तियों को सुधारने के नाम पर गरीबों का ही वहां से सफाया हो जायगा। मुझे ऐसा भय है, और मैं चाहूंगा कि संयुक्त समिति इन सब चीजों पर विचार करे।

इसी तरह से जैसा मैंने निवेदन किया, जब तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर दी जाती कहीं पर, तब तक उनको न उठाया जाय। जो सरकार खुद अव्यवस्थित हो, वह व्यवस्था क्या करेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं ध्यान दिलाऊं कि मुझे मालूम हुआ है कि दिल्ली के अन्दर कोई भारत नगर जैसी जगह है। वहां पर ६०८ क्वार्टर तैयार हैं, और दो वर्ष से बने हुए तैयार हैं। वहां पर केवल रोशनी की व्यवस्था नहीं। लेकिन आज तक उन में कोई बसा नहीं। अगर कम आमदनी वाले लोग जाते हैं और कारपोरेशन के अधिकारियों से निवेदन करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, मंत्रालय के पास जाओ, और जब मंत्रालय के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, कारपोरेशन के पास जाओ। वे तैयार हैं कि भले ही रोशनी की व्यवस्था न हो, लेकिन वे किराया देकर रहें, मगर वे खाली पड़े हुए हैं। मेरे साथी श्री किशन पटनायक गये और उनको देख कर आये। उन मकानों की हालत यह है कि दरवाजे टूट रहे हैं, आधे की छत गिर रही है, लेकिन आज तक उनमें किसी को बसाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिये जब आप लोगों को हटाने की बात करते हैं तो उनको इस तरह की जगहों में बसायें और वे क्वार्टर उनको दे दें, यह आपसे मेरा निवेदन है।

इसी तरह से झुग्गी झोंपड़ी की समस्या है। हम सब लोग इस काम में जुटे हुए हैं, सारी बातें होती हैं, परन्तु कौन जिम्मेदार है कि यह झुग्गी झोंपड़ी वाले कैसे चलते हैं, क्योंकि वे जमीन वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं वे कम पैसा खर्च कर झुग्गी झोंपड़ियों को तैयार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा किराया लोगों से अर्जित करते हैं। जो इन सारी चीजों को प्रोत्साहन मिल रहा है वह इसी कारण से मिल रहा है। इसलिये मैं सरकार से, मंत्री महोदय से, निवेदन करूंगा कि वह इन सारी चीजों पर ध्यान दें और बड़े सरकारी अफसर और बड़े लोग मिल कर जो भ्रष्टाचार चला रहे हैं, एक तरह से झुग्गी झोंपड़ी और गन्दी बस्तियों को उजाड़ने का डर दिखा कर के भ्रष्टाचार चलाया करते हैं, पैसा वसूल करते हैं, मैं चाहूंगा कि इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाय।

अन्त में जो भय मैंने मंत्री महोदय के सामने रखा, उसको दूर किया जा सकता है,

शर्त यह है कि जिनको वहां से हटाया जाय उनके लिये तत्काल रहने का बन्दोबस्त किया जाये । दूसरी बात यह है कि एक निश्चित समय छः महीने का या आठ महीने का रक्खा जाय, जिसमें औसत दर्जे के मकान, जहां वह रह रहे थे वहां बन कर तैयार हो जाएं, और यह उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वे दरख्वास्त दें कि हमें उन मकानों में रक्खो । यह शासन या प्रेस्काइबुड अथारिटी की जिम्मेदारी होगी कि एक अवधि के अन्दर उनको मकान दे । जो किराया था उससे एक रुपया, दो रुपया या तीन रुपया बढ़ भी जाय तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनको वहीं पर मकान दिया जाय ।

तीसरी चीज शहरी जमीनों की है, जिन्हें सरकार अब तक कम पैसा देकर अर्जित करती थी और ज्यादा मुनाफा में नीलाम के जरिये बेचती थी । इस तरीके को बन्द किया जाये और जिस हिसाब से वह जमीन खरीदती है उसी के अनुपात में कम आमदनी वाले लोगों के लिये, उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिये, गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये सस्ते दामों पर जमीन दी जाय और उनको मकान बनाने के लिये सहायता दी जाय । वे मकान बना लें, तब आसान किस्तों के आधार पर उनको मकान दिये जायें, एक यही इस समस्या का हल हो सकता है ।

इसी तरह से मैं आपके जरिये से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब कभी हमारे प्रधान मंत्री जी किसी बड़े शहर में जाते हैं, कानपुर जायें, कलकत्ता जायें, तो शुरू से ही इन गन्दी बस्तियों को हर साल जला दिया जाता है । लेकिन गन्दी बस्तियों को जलाने का एक ढोंग मात्र ही रह जाता है, इसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकला । तो उस नतीजे को अगर हमको निकालना है, और हम वाकै में सफाई चाहते हैं, तो इस आधार पर, जैसे मैंने सुझाव दिये हैं, सरकार इस चीज को करे, ताकि जो इसका मंशा है उसके अन्दर सही आत्मा भी बिठायी जा सके, नहीं तो जो मैंने शुरू में अपना भय व्यक्त किया था वह बना रहेगा, और मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य की पूर्ति भी न होगी, और न इन गरीबों को रहने का कोई ठिकाना मिलेगा, और ये गन्दी बस्तियां फिर कहीं न कहीं बस जायेंगी ।

Shri Sonavane: Sir, I rise to support the motion for reference of this Bill to a Joint Committee moved by my friend, Shri Naval Prabhakar. Government should accept it because many of the suggestions made by hon. Members can be considered by the Joint Committee. So, it is in the fitness of things that Government accepts this motion and if they do it, they would deserve praise.

The slum clearance problem has broadly two aspects; the improvement of the existing slums and the prevention of new slums coming up. If these two aspects are dealt with separately, several things come up for consideration. Slums exist in several parts of the country, including Union Territories. The first aspect would be how to improve them. That is the prime factor of this Bill. But after having cleared the slums, the next important thing is to prevent slums appearing again. Having cured a malady, it is essential to see that it does not recur. I have been practising in Bombay, which has got many slum areas. The Sholapur District from where I come has lot of slums. This Bill concerns the Union Territories, but the problem is the same throughout. Regarding improvement of slums—the first aspect —the Bill takes care of it. A lot of suggestions have been made regarding slum improvement. It is essential that slums should be improved from the sanitation point of view, because human beings stay there. People are poor and so rents should be less. I agree with all those suggestions and I hope the Joint Committee would take note of it and include provisions for that improvement.

[Shri Sonavane]

Let us consider how slums crop up. It is an interesting story which I think hon. Members may be knowing. There are lands owned either by Government or by municipalities or private people. As Mr. P. R. Patel said, people come from rural areas in search of work. When they find they have no place to live, they settle somewhere in an open place, irrespective of the fact whether the land belongs to them or not. A peculiar feature is certain anti-social elements or goondas and people of that sort—put up a *katcha* hut at a cost of Rs. 30 or Rs. 40 on these lands which belong either to Government or to the municipality or private people. They ask the poor people who have come from outside to get into the hut and they take rent and *pugree* also from them. These anti-social people are mainly responsible for creating slums. No doubt the pressure for shelter is there from such people who come from outside. But these anti-social people do not tell them that the land does not belong to them. They say it belongs to them and under that pretext, they take illegal rent and *pugree* from them. Had the poor people known that the land did not belong to them, they would not stay there. This is one of the problems which I would very pointedly bring to the attention of the Minister. Whenever there is slum clearance, he should go into the antecedents of the owner or the person who takes rent from the poor people and exploits them. At the time when slums are cleared and the unauthorised huts are demolished, this should be taken note of and if a very stern attitude is taken, I think the slum clearance would be facilitated.

15.48 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

There are instances of anti-social people having built unauthorised huts even on private lands and lands meant for co-operative societies and other places. This problem has become a menace both to the Government, the municipality and to private owners. So, this should be taken note of by the Government while dealing with this problem and no quarter should be allowed to these anti-social people.

Coming to the second aspect, prevention of slums appearing again, is of major importance. If this aspect is overlooked, while clearing one slum, at some other place some other slum crops up. That situation should not be allowed to take place. Therefore, in order to prevent it, this problem has to be tackled in many ways. One way would be that employment should be found for people flowing from the rural areas to the cities. Nowadays labour is not available in villages. People are seen in thousands and thousands in cities, but in villages which have been deserted, there are no labour available for agricultural operations. Whatever people are there, they demand much more wages than what the poor agriculturists can afford. This is one of the points which the Government should take notice of, and wherever people come and settle in a new area other than the existing slums they should be prevented from doing so either by the Government or by the municipality. Such unauthorised huts should not be allowed to come up and if they are built they should be demolished immediately.

There are other remedies also. As suggested by Shri Patel, the municipalities, industrialists and factory owners who employ labour should have their own tenements where their labour should be housed so that these people who come to the cities will not erect shelters or huts at any and every place. In this way the prevention and clearance of slums should be taken note of simultaneously.

Once again, Sir, I think the Government would deserve congratulations for accepting this motion for reference of the Bill to a Joint Com-

mittee and I hope they will be liberal in accepting the very good suggestions made there.

With these words, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Sir, I only want to make a few observations on this Bill. This Bill, in my opinion, was urgently needed, and I congratulate the hon. Minister for having brought it up in this House. I congratulate him still further, because he has already accepted a motion for referring it to a Joint Committee so that there is enough time for the Members to consider it in detail and make proper and adequate suggestions with a view to making the Bill a really useful and beneficial one.

The Bill deals with, what they call, one of the elementary requirements of civilised human existence. Sufficient food to eat, fresh drinking water, a comfortable house to live in and sufficient cloth to cover the body are, in my opinion, the elementary requirements of a man. If any of these elementary requirements is wanting, then we regard that person not as in the category of a civilised man but as a barbarian or an uncultured fellow. The responsibility for providing these minimum requirements for the entire Indian population which have become independent has been that of those who have fought for that independence and who have fortunately become the persons at the helm of affairs in this country in the days of independence. It is very good that some of the most important stalwarts who fought the battle of independence are at the helm of affairs, and the ideals with which they fought that battle are still present before their mind. They are trying to reach those ideals with as much speed as they possibly can. This Bill comes under the category of those attempts which are being made in this country with a view to reaching the goal for which the battle of independence was fought by the people of this country.

Sir, there is a Sanskrit sloka which, with your permission, I would like to repeat. It is like this:

"रोगी चिरप्रवासी परान्नभोजी पराऽवसथशायी,

यज्जीवति तन्मरणम् यन्मरणम् सोऽस्य विश्रामः ।"

A person who is always ill and sick, a man who has no house of his own to live in but lives in the house of another man, and a man who has not got his own cloth to cover his body and asks somebody else to give some cloth to cover his body come under the category of those persons for whom it is better to die than to live. For them death is a relief from all the misery and their life is only continuation of miserable existence. Therefore, those persons who have been working as our colleagues and who have no house of their own, no comfortable abode of their own to rest and get relief from their day's work or do away with their exhaustion, really deserve to be treated by us more carefully. It is right, therefore, that the Government of India have taken this problem up in right earnest and they are making a small beginning.

They are making a beginning with the capital of the country. Their first attempt is to deal with the slums of Delhi. How are these slums created? Many hon. friends have told us about it. There is no doubt that slums are to be found even in the villages. Though they may not be called by the actual word "slums", they are there. But in the cities these slums are created by what may be called the modern industrial growth. That modern industrial growth generally attracts people from rural areas. When they come to the cities they are not being settled very carefully. When permission is granted to certain persons to start industries, they commence them in pell-mell. Certain persons take

[Dr. M. S. Aney]

advantage of this and provide these people with some kind of quarters without taking into consideration the requirements of sanitation and other things of life. Thus slums are created. Therefore, those who have been thinking of improving the industrial position of India with a view to creating a sound economic base must look at this problem of slums as one of the most important problems if a dignified human existence is to be enjoyed by all persons who come within the definition of "citizens of India". They may be rich or poor, but so far as dignity of life is concerned certain minimum comforts are the rights of every human being. I, therefore, congratulate the hon. Minister for having come forward with this Bill to make a beginning in the city of Delhi.

How far he will succeed with the present Bill is a matter for the Joint Committee to consider. Various criticisms have been made by hon Members. I hope they will consider all of them. But I want to tell one thing to my hon. friend Shri Khanna for whom I have great respect. My hon. friend here praised him. He deserves all that praise. He has practically identified himself with the work of giving relief to those who have been suffering all these years. He is the proper man to take up this work also. But, in my opinion, he may build good houses and put people there. But you must know that a good house can be made a slum in a few years by dirty men not knowing the rules of civilised existence or having no moral outlook. If simultaneously with the building of good houses and providing better sanitary conditions we do not create a kind of moral standard of life and make people give up their old ideas of living so that they may retain the good parts of the old ideas and add certain more ideas of civic life, we will not be able to achieve much and merely building good houses and providing better sanitary conditions would not be a solution for clearing the slums in the country. They will displace certain other types. A man can enjoy only so much as he is capable of enjoying; not more than that. So, you must construct not only proper quarters for them to live in order to remove the slums, but you must also create proper persons to live in those places so that the same conditions may not be revived again. Therefore, it is not merely a question of the improvement of the physical environments but also the mental build-up of the persons living in that area. These two things must go on simultaneously. So, I want to make a suggestion in this regard. While preparing the schemes for slum clearance and slum improvement, you must also provide institutions which will give them opportunities for developing their morals and civic duties. It is only when these two things are done side by side that the scheme may succeed so that in course of time slums may disappear and a new India will appear. With these few words, I support the motion for reference of this Bill to the Joint Committee.

16 hrs.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद गन्दी बस्तियों पर भी सरकार की नज़र पड़ी है।

हमारे मित्र, श्री यशपाल सिंह, ने तो मिनिस्टर साहब की ऐसे तारीफ़ कर दी है, जैसे गन्दी बस्तियों की सफाई हो ही गई हो। उन्होंने मिनिस्टर साहब को धन्यवाद भी दे दिया और न मालूम क्या क्या पदवियां भी उनको दे दीं। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विषय में कितनी कार्यवाही की गई है। इस तरह के बिल आते रहते हैं। वे कागजों पर ही रहते हैं और उन पर अमल नहीं किया जाता है। मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि अगर वह स्वयं जाकर देखें, तो उनको मालूम होगा कि गन्दी बस्ती वालों की क्या हालत है। वहां पर

हमारा मजदूर वर्ग ऐसी जगहों पर रहता है, वहां रहना और निकलना दुश्वार है। उनके सामने ऐसी ऐसी नालियां हैं जिनमें हर समय मच्छरों की भिनभिनाहट रहती है—बिना सुर के सितार बजता है। अगर आप वहां पर जायें, तो एक मिनट भी वहां पर नहीं ठहर सकते हैं। केवल दिल्ली ही नहीं, अन्य नगरों में ऐसी ऐसी गन्दी बस्तियां हैं, वहां मिनिस्टर साहब या कोई अन्य व्यक्ति नहीं जा सकते हैं।

मैं तो उन गरीब लोगों की प्रशंसा करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, जो ऐसी जगह पर रह कर अपना गुजर-बसर करते हैं। उनके बच्चे बीमार रहते हैं, लेकिन उनको दवा-दारू नहीं मिलती है। अगर उस गन्दी बस्ती की सफाई की जाती है, या किसी और तरीके से उन को वहां से हटाया जाता है तो उन लोगों को किसी दूसरी जगह ठीक प्रकार से बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। यहां पर अक्सर दस दस, पन्द्रह पन्द्रह हजार झोंपड़ियां गिराई गई, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। वे बेचारे कई दिन तक पार्लियामेंट हाउस के सामने प्रदर्शन कर के वापस चले गये लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

जब से हमने स्वतन्त्रता पाई है, तब से आज तक मिनिस्टर साहब गन्दी बस्तियों को हटाने और साफ़ करने के लिये कोई बीस, बाईस हजार ही क्वार्टर बना पाये हैं, जब कि यहां पर अस्सी हजार या एक लाख आदमी ऐसे रहते हैं, जिनके घरों में सफ़ाई नहीं है, पानी का इन्तजाम नहीं है, लाइट नहीं है, किसी तरह की नागरिक सुविधा नहीं है। हमारे मंत्री साहब हमेशा इसी तरह टाल मटोल करते रहे। कभी उन्होंने दो लाख मंजूर कर दिया, कभी चार करोड़ मंजूर कर दिया, कभी कहा कि इस तरह से जोन दिया जायेगा, कभी मास्टर प्लान की बात कही। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि गन्दी बस्तियों में रहने वालों को बसाया नहीं गया। हमेशा देखा जाता है कि साठ साठ लाख रुपये के होटल बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी से पूछे हुए, बना दिये जाते हैं, लेकिन कई समितियां बनाने और कई आश्वासन देने के बावजूद गन्दी बस्तियों में रहने वालों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके जरिये से मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनकी तरफ़ ध्यान दिया गया होता, तो आज तक यह समस्या सुलझ गई होती। हम देखते रहे हैं कि ज्यों ज्यों सरकार इस बारे में देर करती है, त्यों त्यों गन्दी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं।

अगर गन्दी बस्तियों को साफ करके वहां के लोगों को बसाया जाता है, तो ऐसी जगह बसाया जाता है, जो कि शहर से आठ दस मील दूर हो, जहां से वे मेहनत मजदूरी करने के लिये शहर में नहीं आ सकते। इस प्रकार मजबूर हो कर उनको फिर शहर में कहीं झोंपड़ी बनानी पड़ जाती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन गन्दी बस्तियों में ऐसे आदमी भी रहते हैं, जिनकी आमदनी दो तीन सौ रुपये होती है। चूंकि जमीन का अभाव है, इसलिये वे भी गन्दी बस्तियों में रहने वाले मजदूरों के साथ रहने लगते हैं।

जब कि एक मिनिस्टर की कोठी में बगीचा लगाने के लिये पांच सात एकड़ जमीन घेर ली जाती है, उन मजदूरों के लिये बीस फीट जमीन भी नहीं दी जाती है। उनके लिए स्केल ही बनते रहते हैं कि चालीस बाई चालीस दी जाये, साठ बाई साठ दी जाये। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या यह स्केल इतना लम्बा-चौड़ा है कि वह तय नहीं हो पाता है।

इस बिल में काम्पीटेंट एथारिटी का जिक्र किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि काम्पीटेंट एथारिटी ऐसा होना चाहिए, जो कि निष्पक्ष हो। ऐसा काम्पीटेंट एथारिटी नहीं होना चाहिए, जो हटा तो दे, लेकिन बसाने के लिये उसके माफ़िक

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

के चक्कर काटने पड़ें और जब तक उसकी मुट्ठी गर्म न हो, लोगों को बाहर ही पड़ा रहना पड़े । ऐसे निष्पक्ष आफ़िसर होने चाहियें, जो जैसे हटायें, वैसे बसायें भी । लोगों को उजाड़ने से पहले उनको बसाने की व्यवस्था होनी चाहिये । तभी उनकी झोंपड़ियां तोड़ी जायें । इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा आफ़िसर नियुक्त किया जाये, जो किसी के लालच में न आये, जो उन गरीबों की हालत देख कर उनको जल्द से जल्द बसाने की कोशिश करे ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों की आमदनी की फिर से जांच की जाये और यह देखा जाये कि उन गन्दी बस्तियों में कितने आदमी ऐसे हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, कितने ऐसे हैं, जो कार में बैठ कर चलते हैं, कितने ऐसे हैं, जो स्कूटर पर चलते हैं । ये सब बातें देख कर उन को वहां से हटाया जाये और जल्द से जल्द उन को किसी दूसरे स्थान पर बसाने की व्यवस्था की जाये ।

जहां तक पार्क का सम्बन्ध है, हम ने देखा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो क्वार्टर बना रखे हैं, उन के पार्कों में धूल उड़ती है और बच्चों के लिए खेलने का कोई इन्तज़ाम नहीं हैं । उस तरफ़ भी ध्यान दिया जाना चाहिए । यह नहीं कि केवल मिनिस्टरों की कोठियों पर ही ध्यान दिया जाये ।

गन्दी बस्ती वालों को अगर बसाना है, तो उन को उजाड़ने से पहले उन को बसाने की व्यवस्था की जाये और फिर गन्दी बस्तियों को हटाया जाये ।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफसोस है कि जब हम लोग बोलने लगते हैं, तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते । इस विधेयक पर जो बहस हो रही है, उस में मिनिस्टरों की कोठियों का प्रश्न कैसे आ गया, यह समझ में नहीं आया ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : वहां पर सफाई की व्यवस्था के लिए चार चार आदमी हैं, जिन का खर्चा सरकार भुगत रही है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : कोई भी बात सामने हो, लेकिन मिनिस्टरों का नाम लेना क्या ज़रूरी हो जाता है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : एक मिनिस्टर की जगह में हज़ार आदमी रह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने अपना भाषण पूरा नहीं किया है, जो वह उस को जारी रखे हुए हैं ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : ऐसा मालूम होता है कि कुछ लोगों को मिनिस्टर-फ़ोबिया या गवर्नमेंट-फ़ोबिया हो गया है । इस तरह की अनर्गल बातें करने से क्या फायदा है ?

मैं सर्व-प्रथम मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि स्लम-क्लीयरेंस के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया है । मैं स्लम्ज़ के वासियों की दयनीय दशा का वर्णन कर सदन का समय ज़ाया नहीं करना चाहता । वह सर्वविदित है । वहां क्या क्या होना चाहिए, यह मिनिस्टर साहब को भी मालूम है और लोग भी जानते हैं । मैं एक ही बात आप के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह यह है कि उन लोगों के लिए जो मकान बनाए जायें, वे ऐसे न हों कि वे एक परिवार के रहने के लायक न हों । इस समय जो वन-रूम टेनेमेंट्स बनते हैं, प्रधान मंत्री जी ने भी उनकी भर्त्सना की है कि वन-रूम टेनेमेंट्स नहीं बनने चाहिएं, कम से कम दो रूम तो होने चाहिएं । इस लिए स्लम-क्लीयरेंस के नाम पर ऐसे क्वार्टर हम न बना दें, जो कि बाद में प्रयोग के लायक न रह जायें ।

अभी मैं ने देखा कि शाहदरा के नज़दीक

बहुत से मकानात बने हैं, लेकिन वे ऐसे मकान हैं, जहां कोई सभ्य आदमी रहने की लालसा नहीं रखेगा। सरकार उस जमीन का विकास कर के ऐसे मकान बनाए, जिन में वे लोग बाद में भी, जब उन की गरीबी दूर हो, रहना पसन्द कर सकें। साथ ही से हमारे मित्र श्री सोनावने साहब ने कहा कि फिर से स्लम्ज़ न हो जाएं इसकी तरफ भी ध्यान आपका जाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फाल्स इकोनोमी नहीं होनी चाहिये। अभी मंत्रालय से गत साल एक परिपत्र निकला था कि कोठियों की मुरम्मत इस एमरजेंसी में बन्द की जाए। इसका नतीजा क्या हुआ है? जो पुरानी कोठियां हैं वे दिन-ब-दिन खराब होती जा रही हैं और बाद में जब उनकी मुरम्मत की जाएगी तो उन पर अधिक पैसा लगेगा या उनको तोड़ना पड़ेगा। हम लोग भी जिस मकान में रहते हैं, वह चूता है और उसकी एमरजेंसी के कारण मरम्मत नहीं हो रही है। आप सोये हुए हैं। बरसात में पानी चूता है।

श्री पू० शे० नास्कर : हाउस कमेटी का यह मामला है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : पावर्ज का बटवारा आप कर लें।

अध्यक्ष महोदय : आपने सिर्फ अपनी कोठी की शिकायत की। मैं आपसे कहता हूं कि मेरी की भी कर दीजिये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं तो सब लोगों की करता हूं, सब लोगों के लिहाज़ पर बोल रहा हूं। जब पसन्द इनको होता है तो कभी कभी तो अच्छी कोठी में भी कुछ तोड़ कर उसकी मुरम्मत कर दी जाती है। विंडसर प्लेस के सामने एक दूसरी कोठी के सिलसिले में यह देखा गया है। उसको उजाड़ कर, पलस्तर को तोड़ कर उसको नया बनाया गया है। हमारे यहां जो मकान चूता है, उसकी मुरम्मत तक नहीं हुई है। यह इस बिल के सम्बन्ध में कहने की बात नहीं थी लेकिन इस तरह की बातें हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि जो भी टेनेमेंट्स आप बनवायें, उनकी मुरम्मत पर भी ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे जल्दी ही खराब हो जायेंगे। आज देखा गया है कि वे बनते तो हैं कुछ कच्चे पक्के लेकिन बनते ही खराब हो जाते हैं। आप फाल्स इकोनोमी न करें, जब कभी मुरम्मत की जरूरत हो, मुरम्मत जरूर करवायें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कुछ दिन के बाद वे फिर स्लम्ज़ में परिवर्तित हो जायेंगे।

साथ ही साथ ऐसा प्रबन्ध भी होना चाहिये जिससे स्लम ड्वेलर्ज़ के जो लड़के बच्चे हैं, वे खेल कूद सकें। स्लम्ज़ को हटा कर इतने नज़दीक नज़दीक मकान नहीं बना दिये जाने चाहिएं कि वहां के लोगों के घूमने फिरने लायक जगह भी न रहे। मकान अच्छे बनें और बनते ही लोगों को मिल न जायें और जो सुविधायें हैं, वे उनको न मिलें तो उससे क्या फायदा हो सकता है।

अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि एक कालोनी में बहुत दिनों से मकान खाली पड़े हुए हैं, उन में कोई जाता नहीं है, वहां लाइट नहीं है या दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। ठीक से प्लानिंग क्यों नहीं किया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मकान बनने पर भी और इतनी अधिक संख्या में बनने पर भी लोग वहां रहने की इच्छा क्यों नहीं रखते? . . .

श्री मेहर चन्द खन्ना : वे कारपोरेशन के मकान हैं, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : आप हाउसिंग मिनिस्टर हैं, कारपोरेशन का ध्यान इस ओर आप दिला सकते हैं।

मैं आगाह कर रहा था कि इन सब चीज़ों से आप बचें। जो स्लमड्वेलर्ज़ हैं, जो वहां

[श्री डा० ना० तिवारी]

रहने वाले हैं, वे भी हमारे भाई बन्धु हैं। उनके दिलों में भी तमन्नायें हैं, वे भी चाहते हैं कि उनके लड़के दूसरों के लड़कों की तरह, उनके भी बच्चे दूसरे बच्चों की तरह स्वस्थ रहें, पढ़ें लिखें। यह सब प्रबन्ध होना चाहिये।

यह बिल प्रवर समिति में जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि वहां पर इन सब बातों के ऊपर विचार होगा। मैं चाहता हूं कि जब यह बिल पास हो जाए, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट इस काम को ठीक से करे, नहीं तो जो पबिलक वर्क्स डिपार्टमेंट की शोहरत है, जो उसका नाम है, वही चरितार्थ न होने लगे। मैं चाहता हूं कि जरा ठीक से काम हो।

श्री स० मो० बनर्जी : यह जो विधेयक पेश हुआ है, इस में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन का मैं समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसको पहले ही लाया जाना चाहिये था। अशोक सेन साहब की रिपोर्ट काफी दिन पहले सदन में आई थी और मेरा ख्याल है उस पर बहस भी हुई थी। उस में कुछ सुझाव दिये गये थे। दो किस्म के सुझाव उस में थे। कुछ तो लांग टर्म सुझाव थे और कुछ शार्ट टर्म। जिन छः शहरों का जिक्र उस में किया गया था मैं उन में से एक का रहने वाला हूं। वह कानपुर है। उसके स्लम्ज, उसकी झुग्गी झोंपड़ियां या गन्दी बस्तियां हिन्दुस्तान में काफी मशहूर हैं। जब प्रधान मंत्री जी वहां राज्य बीमा योजना का उद्घाटन करने गए थे तब उनके पास लोग गये थे और उन से प्रार्थना की थी कि वह खुद आ कर गन्दी बस्तियों को देखें और देखें की हालत क्या है। मेरा ख्याल है कि यह १९५९ की बात है। उस वक्त उन्होंने खुद कहा था कि गन्दी बस्तियों के लोग इन स्लम्ज को जला क्यों नहीं देते। जलाने की तो हिम्मत लोगों में नहीं हुई क्योंकि ताजीराते हिन्द उनके सामने था लेकिन उसके बाद से कोशिश की गई जनता का हित करने की। उसका नतीजा इतना जरूर हुआ कि आज कानपुर शहर में कम से कम तीस हजार क्वार्टर बन चुके हैं और शायद हिन्दुस्तान में सब से अधिक वहीं बने हैं। वे वन रूम टेनेमेंट्स और टू रूम टेनेमेंट्स हैं। लेकिन जिन के लिए वे मकान बने, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वे बेचारे वहां सुख से रह न सके। उसका एक कारण है कि किराया इतना अधिक है, दस रुपये वन रूम टेनेमेंट का, कि वे बेचारे दे नहीं सकते थे। हमारे हिन्दुस्तान में कोई फैमिली की परिभाषा तो हुई नहीं है जैसे दूसरे देशों में हुई है कि वाइफ और लैजीटिमेट चिल्डरन। हमारे यहां तो बूढ़ी मां भी रहती है, बेवा बहन भी रहती है, भाई भी रहता है और एक आम परिवार जो है वह सब मिल कर रहता है। एक कमरे में कम अज कम पांच या सात आदमी तो रहते ही हैं। अकसर देखा गया है कि बहुत से लोग बाहर सोते हैं और बरसात में उनके लिए एक मसला सा यह बन कर खड़ा हो जाता है। आज कल तो किराया दस से भी बढ़ा दिया गया है। कुछ जगहों पर इस वजह से कि जमीन के दाम बढ़ गए हैं या मैटीरियल के दाम बढ़ गए हैं। इस आधार पर उनका किराया उन्नीस रुपये कर दिया गया है। मैं ने पिछली बार कहा था कि जहां तक वन रूम टेनेमेंटस का सवाल है उनका दस रुपया किराया जो रखा गया है वह तो गनीमत है हालांकि वह भी कम होना चाहियें, लेकिन वह इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिये। पांच रुपये या सात रुपये कर दिया जाना चाहिये। ऐसा कुछ एरियाज में है। सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं और जिन को किराया मिलता है दस रुपये या पंद्रह रुपये वे तो दस रुपये दे सकते हैं लेकिन जिसे एक पैसा भी मकान के किराये के तौर पर नहीं मिलता है और जिस को तनख्वाह भी कम है, और जिस के लिए गन्दी बस्तियों को उजाड़ कर हवादार मकान बनाये जा रहे हैं मेरा निवेदन है कि उन से तो किराया कम से कम लिया जाए और उस में तो सरकार को, चाहे राज्य सरकार को या केन्द्रीय सरकार को या कारपोरेशन को मुनाफ़ा नहीं करना चाहिये।

मैं जानता हूं मंत्री महोदय यह कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो तीस हजार क्वार्टर बने हैं और जिस के लिये मैंने उनको बधाई दी थी और राज्य सरकार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं काफी रुपया, चन्द करोड़ रुपया राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक केन्द्र का नहीं दिया है। यह बिल्कुल सही है कि उसने अदा नहीं किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस वजह से किराया बढ़ा दिया जाय, दस से पन्द्रह या सत्तरह कर दिया जाय, यह तो उचित नहीं है। इस तरह के कदम का नतीजा तो यही हो सकता है कि जिस के लिये मकान बने हैं वे तो नहीं रह सकेंगे उनके नाम से हो सकता है कि कोई दूसरे व्यक्ति रहें।

इसलिये मैं कहता हूं कि दो चीजों की तरफ आप का ध्यान खास तौर पर जाये। चाहे दिल्ली हो, कानपुर हो, अहमदाबाद हो, मद्रास हो, बम्बई हो या कलकत्ता हो या इन शहरों के अलावा कोई दूसरा शहर हो जहां पर गन्दी बस्तियां बन गई हों, आपको ध्यान देना चाहिये कि गन्दी बस्तियां आखिर बनती क्यों हैं। कुछ लोग तो अपने आप रहने लग जाते हैं। दिल्ली में आपको मालूम ही है कि साठ हजार या सत्तर हजार या एक लाख श्रमजीवी जो लोग हैं वे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। उनको आप स्लम्ज़ कहें या कुछ भी कहें, वे वहां रहते हैं। झंडेवाला की तरफ अगर हम जायें तो क्या देखते हैं? आज भी वहां वही नजारा है जो १९४८ या १९४९ में था। अभी तक भी उनको बसाने का कोई उचित प्रबन्ध नहीं हुआ है। मैं नहीं कहता हूं कि बसाने का कोई प्रबन्ध हुआ ही नहीं। लोग आज बेघर हैं, बेबस हैं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि जिस तरीके से प्रबन्ध होना चाहिये था, एक सही तरीके से जिससे लोग बस जायें, वह अभी नहीं हुआ है। दो चीजें हमारे सामने हैं। एक तो गन्दी बस्तियों को जब तोड़ा जाय, चाहे सरकार अपने हाथ में लैंड को एक्वायर करके रख ले और खुद वन रूम टेनेमेंट्स या टू रूम टेनेमेंट्स बनाने की कोशिश करे या सरमायेदार या कालोनाइजर जो हों, या एम्प्लायर जो हैं, वे सरकार से लेकर बनाना चाहें।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : उनको यह रुपया कर्ज के रूप में दिया जाय, ऐसा आप क्यों नहीं कहते हैं?

श्री स० मो० बनर्जी : इसको मैं कंसिडर करूंगा।

कालोनाइजर की शक्ल में हो और कालोनाइजर अपनी कालोनी बनाना चाहता हो और अगर उसे भी दिया जाय तो यह सोचा जाये कि अगर आज से तीस महीने पहले किसी मामूली मजदूर ने या गरीब आदमी ने किसी हालत से आठ आने गज ऐसी जमीन खरीदी या सौ रुपये में एक अच्छा खासा प्लाट बीस या तीस गज का उसने खरीद लिया था तो आज उसकी कीमत जो है, वह उसको किसी हालत में भी मिल नहीं सकती है। उस के घर को ले लिया जाय, जमीन को ले लिया जाय, और मुआवजा बहुत कम दिया जाय तो उस के लिये नामुमकिन हो जायेगा कि वह आज छोटी सी झोंपड़ी में रह सके। इसलिये स्लम क्लिअरेंस स्कीम में जब स्लम्स को क्लिअर किया जाय तो हमें लोगों को दो विश्वास देने पड़ेंगे, स्लम ड्वेलर से, चाहे छोटा मकान हो चाहे झोंपड़ी हो, चाहे खुद ही मालिक हो मकान का, उस से कहना पड़ेगा कि मकान हम तुम्हारा ले रहे हैं ताकि साफ सुथरी जगहों में तुम रह सको, हवादार मकान तुम को मिल सके। तुम्हारी जमीन अगर ली जाती है तो इसलिये कि जो कमरा बनेगा वह तुम्हारा होगा, वह तुमको मिलेगा और दाम उसके ऐसे रखे जायेंगे कि तुम उसे खरीद सको। दूसरी चीज यह कि जो मालिक मकान नहीं है, किरायेदार हैं, उस से कहा जाय कि इस किराये पर अगर उस इलाके में मकान उठाये जायेंगे तो वह तुम को ही मिलेंगे।

[श्री स० मो० बनर्जी]

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कानपुर कारपोरेशन ने, जिसे सेन्टर ने काफी मदद की है, स्लम क्लियरेंस के आधार पर उसे २७ लाख या ३७ लाख रुपया दिया गया है, जब उस ने गन्दी बस्तियों को उजाड़ा तो लोगों से यह कह कर उजाड़ा कि तुम गन्दी बस्तियों में नहीं रह सकते हो, स्वास्थ्य का सवाल है, लेकिन जब बसाने का सवाल आया तो बदकिस्मती की बात यह है कि उन को सही तरीके से बसाया नहीं गया। हुआ क्या। लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर अगर सारे कुनबे का सर्वनाश हो जाय तो ऐसा विकास हम नहीं चाहते हैं। यह सही बात मैं कह रहा हूं, जिस की वजह से लोग स्लम क्लियरेंस के खिलाफ हैं, वर्ना कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अलाहदा कमरे में रहें, रोशनी में रहें, उन को साफ हवा मिल सके, उन को तालीम अच्छी मिले, उन के जहनों को हम अच्छी तरह से साफ रख सकें। मैं समझता हूं कि खुशगवार जगह वह सभी रहना चाहेंगे।

दूसरी बात यह है कि जो भी मकान बनाये, टेनेमेंट बनाये, वे टू रूम टेनेमेंट्स होने चाहियें। मुझे खुशी है कि पंडित जी ने कहा कि दो कमरों से कम नहीं होने चाहियें। एक अजीब चीज इस देश में है। मान लीजिये कि मैं शादीशुदा हूं तो एक रूम के टेनेमेंट से जिस को कंजुगल लाइफ कहते हैं वह मैं व्यतीत नहीं कर सकता अगर बूढ़ी मां मेरे साथ है, या बूढ़ा बाप मेरे साथ रहता है। अगर आज हमारी जहनियत गिरती जा रही है, हमारा चरित्र गिरता जा रहा है तो वह सिर्फ एक वजह से कि हम अपने परिवार को ले कर एक घर में नहीं रह सकते। यह हालत होती जा रही है। इंडस्ट्रियल सिटीज में आजकल जिस तरह से डिजीज होती जा रही हैं वह इसीलिये होती हैं कि वहां के रहने की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि स्लम एरियाज से जो उतार कर लाये गये हैं उन को एक कमरे में रहने से, मालूम होता है कि वे फेमिली बेसिस पर रह ही नहीं सकते हैं।

इसलिये मेरे तीन सुझाव हैं। जिन लोगों को उखाड़ा जाय, जिन बस्तियों को गिराया जाय, उनको सस्ते दामों पर प्लाट दिये जाय और उन्हीं प्लाटों में उन्हें बसाया जाय। अगर सरकार किसी आदमी को उजाड़ती है तो इसलिये कि उसे बसाया जाय। अगर आदमी के अन्दर यह विश्वास रहे कि उजड़ने के बाद वह फिर बसाया जायेगा, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई विरोध इसका हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके अन्दर यह विचार आ गया कि हमें उजाड़ा जा रहा है और हम सारे देश में खानबदोश की तरह घूमते रहेंगे, या शहर में घूमते रहेंगे और सर पर हमारे मकान नहीं होगा।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह किराये के बारे में है। किराया कम से कम होना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कानपुर गये हैं, उन्होंने रिफ्यूजियों के लिये बहुत से मकान बनाये हैं, बाजार बनवाये हैं, क्वार्टर्स बनवाये हैं। वहां पर ३०,००० क्वार्टर बने, लेकिन उनका किराया इतना ज्यादा है कि जिससे लोगों को परेशानी होती है। मैं आशा करता हूं कि इन तमाम सुझावों पर संयुक्त समिति विचार करेगी, और पांच छः शहरों को छोड़ कर भी, कलकत्ते में और दूसरी जगहों में जहां नये तरीके से लोग बरबाद होते जा रहे हैं, उनको बरबादी से बचा कर फिर से बसाने की कोशिश करेंगे।

पंडित जी कहते हैं कि गन्दी बस्तियों को जला दिया जाय। कानपुर में लोगों ने उनसे पूछा कि अगर उनको जला दिया जाय तो हम रहेंगे कहां? क्या मैदान में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैदान अच्छा है, कम से कम हवा तो मिलेगी। यह देश ऐसा नहीं है कि आदमी मैदान में रह सकें। यहां बरसात

भी है, ठंड भी है। अगर ऐसे बलवान होते तो बीमार न होते। इसलिये यह चीज ठीक नहीं है। उनको सिविलिटी की तरफ़ आना चाहिये। कम से कम कुछ फन्ड डेवेलेपमेन्ट्स होने चाहियें और उजड़े हुए लोगों को फौरन बसाया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री रामेश्वरानन्द :

ओं न तं विदाथ य इमा जजान ।
अन्यद् युष्माकमन्तरं बभूव ॥

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास बहुत से काम हैं, देश की सुरक्षा आदि का बड़ा भार है, अन्दर और बाहर। सरकार को उन कामों से कोई अवकाश नहीं होता और हमारी सरकार इस प्रकार के मकानों को बनाने के चक्कर में लगी हुई है। यदि उनके सामने उनके लिये अनुकूल स्थितियां हों, कभी इस प्रकार की स्थिति बन जाय, तब सरकार को ऐसे काम करने चाहियें। आज तो हम बड़ी भयंकर स्थिति में से निकल रहे हैं और हमारी सरकार इस तरह के सिरदर्द ले रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार वस्तुतः गन्दी बस्तियों को हटाना चाहती है तो जितना व्यय वह इस पर करती है वह स्वयं न कर के वहां रहने वालों को नक्शे दे दे कि तुम्हारे मकानों का ऐसा नक्शा हम चाहते हैं, जो व्यक्ति वहां रहें उन्हें सहयोग के रूप में हम सहायता दें तो अच्छा है। यदि इस तरह से नहीं दे सकते तो आप अल्प ब्याज पर उनको ऋण के रूप में धन दें, जिससे थोड़ा थोड़ा कर के वह धन उनसे निकलता रहे। अगर आप इस तरह से करें तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मकान की जितनी लागत आप द्वारा लगेगी उससे आधी कीमत में मकान बन जायेंगे और बहुत जल्दी बन जायेंगे, साथ ही आप के नक्शे के बन जायेंगे और आपका सिर दर्द हल्का हो जायेगा। लेकिन इधर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें एक मनोवैज्ञानिक वस्तु है। आप जिसको लेंगे, उसको आप किसी को ठेके पर देंगे, ठेकेदार आपसे पर्याप्त पैसे लेगा, वह दूसरे को देगा और दूसरा तीसरे को देगा। इस तरह से जो मकान आधे पैसे में बन सकता है वह दूने पैसे में बनेगा। मैं तो सुझाव देना चाहता हूं कि आपको यह सिरदर्द अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये। मैं पूछता हूं कि वह लोग शीतकाल में कहां जायेंगे, वर्षा में कहां जायेंगे। अगर उनके पास रहने के लिये मकान होता तो वे गन्दी बस्तियों में रहने के लिये क्यों आते। वे रहते इसलिये हैं कि वे असमर्थ हैं। अगर अब आप उनसे जमीन छीन लेंगे तो आपके पास इतने मकान नहीं हैं कि आप जिनमें उनको रख दें। अगर आप पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा, बल प्रयोग कर के उनको निकाल देंगे तो वे मारे मारे फिरेंगे और अनायास इस सरकार को कोसते रहेंगे और नेहरू जी को रोज गालियां मिलेंगी कि ऐसी सरकार आई। इसलिये सरकार को इस तरह के काम नहीं करने चाहियें जिसमें कि सरकार व्यर्थ में बदनाम हो। मगर करे क्यों नहीं सरकार। इसमें बड़ी आमदनी होती है, रिश्तेदारों को, मित्रों को, यार दोस्तों को ठेके दिये जायेंगे। कितने की चीज कितने में बिकती है इसलिये वह आमदनी के लिये सौदा करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरा नाम न रहते हुए भी समय दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वह व्यापार का बाजार नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिषी। नहीं हैं। ग्रानरेबल मिनिस्टर।

श्री मेहरचन्द खन्ना : अध्यक्ष महोदय, इस तरमीमी बिल के मुताल्लिक जो बहस हुई, मुझे खुशी होती है और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं, तमाम मेम्बर साहबान का, चाहे उन का किसी भी पार्टी से ताल्लुक रहा हो, क्योंकि उन्होंने बिल का समर्थन किया है। किसी ने इस बिल के वखिलाफ आवाज नहीं उठाई। हां, यह बात है कि उन्होंने कुछ सुझाव दिये। सुझावों की तफसीलों में तो मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सामने एक सुझाव आया है, दिल्ली के मेम्बर, श्री नवल प्रभाकर की तरफ से, कि इस बिल को ज्वायंट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं उस सुझाव को मंजूर करता हूं। इसलिए मैं इस को मंजूर करता हूं कि जो नेक काम है, जो अच्छा काम है, हो सकता है कि उसमें गल्तियां रह गई हों, कुछ त्रुटियां रह गई हों। हम सब लोगों का मुद्दआ एक है, हम सब यह चाहते हैं कि जो गन्दी बस्तियां में लोग रहते हैं वे बहुत जल्दी आबाद हों, उन की तकलीफ कम हो, उनका किराया कम हो। तो इसलिये मैंने यह मंजूर किया ताकि अगर कोई कमजोरियां रह गई हैं तो वह दूर हो जाएं। ख्वाहिश तो मेरी यह है कि यह कानून इसी सेशन में पास हो जाए। मुझे कुछ जल्दी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्वाइंट कमेटी का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हम इस बिल को इस सेशन में ही पास कर सकेंगे, और मैं इसे दूसरे हाउस में भी ले जा सकूंगा।

अभी कुछ मेम्बरों ने कहा, और दुरुस्त ही कहा, कि स्लम पैदा क्यों होते हैं मुझे उसकी दो वजूहात नजर आती हैं। एक तो यह है कि हम जो मकान बनाते हैं या जो हमारे मकान पुराने हो जाते हैं उनकी जो मरम्मत करनी चाहिए वह नहीं हो रही है। मैं बतौर मिनिस्टर इन वार्क्स हाउसिंग के यह कहना चाहता हूं कि जितने रुपये की हमें जरूरत है उतना रुपया हमें नहीं मिला या हमारे पास नहीं है। पहले प्लान में जो रुपया दिया गया मकानों के लिए वह उस प्लान का १६ पर सेंट था। दूसरे प्लान में ८ पर सेंट ७ हो गया और तीसरे प्लान में वह परसेंट ही रह गया। और आबादी बढ़ती गई और बड़े जोर से बढ़ती गई।

मेरे खयाल में सब मानेंगे कि जब देश का बटवारा हुआ उस वक्त बटवारे से पहले के हिन्दुस्तान की आबादी ४० करोड़ थी। तकरीबन ६ करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गये और यहां की आबादी ३१ करोड़ रह गई, आज वह ४४ करोड़ है। तो एक तरफ तो आबादी बढ़ी और दूसरी तरफ मकानों के लिए जो रुपया मिलना चाहिए था वह कम होता गया।

एक बात और हुई, जो कि आप जानते हैं, और उसका बाज मेम्बरान साहिबान ने जिक्र भी किया है, कि देहातों की तरफ से शहरों की तरफ आबादी का बड़ा जबरदस्त रुख है। बहुत लोग काम के लिए आते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि रुपया कम मिला और आबादी बढ़ी, लोग देहातों से शहर की तरफ आए। और जब जनता होती है तो कहीं न कहीं तो उसे सिर छिपाना होता है और उस सिर छिपाने के लिए, जैसा कि अभी बनर्जी साहब ने कहा, और भाइयों ने भी कहा, बाज बहिनों और भाइयों को बहुत बुरी हालत में रहना पड़ता है। एक भाई ने तो यहां तक भी कह दिया कि जहां शहरों में इनसान इनसान के साथ रहते हैं, वहां देहातों में हैवान और इनसान साथ साथ रहते हैं। तो यह स्थिति पैदा हुई।

अब अगर उसके लिए मैं यह कह दूं कि साहब बहुत जल्द ये तमाम चीजें साफ हो जायेंगी तो मुश्किल है, क्योंकि सवाल है रुपये का। चाहे आप किराया कम करें

तब भी रुपये की जरूरत होगी, चाहे आप सबसिडी दें तब भी रुपये की जरूरत होगी, और चाहे आप लोन दें तब भी रुपये की जरूरत होगी। उसके लिए हमें रुपये की जरूरत है और काफी जरूरत है।

अब अगर यह कहा जाये कि कुछ भी काम नहीं हुआ, तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जहां तक मेरी इत्तिला है, मैं गलती कर सकता हूं, कि जब से हमने यह स्लम क्लियरेंस का कानून लागू किया है तब से हमने २५ करोड़ रुपए की स्कीमें सैंक्शन की हैं तमाम देश में। यह कुछ ज्यादा नहीं है। हमारी जरूरियात के लिये यह बहुत कम है। लेकिन फिर भी २५ करोड़ की स्कीमें सैंक्शन हुई हैं और एक लाख मकान बनाने की स्कीमें सक्शन हुई हैं। जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, हमने ६ करोड़ रुपए की स्कीमें सैंक्शन की हैं और दिल्ली में जो मकानात सैंक्शन हुए हैं वे २७ हजार के करीब हैं, जिनमें से १७ हजार के करीब मकान और प्लाट तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा जो पुराने कटरे हैं शहरों में उनको भी काफी इम्प्रूव किया गया है जो कि बुरी हालत में थे। भारत सेवक समाज ने इसमें काम किया है और उनमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन मैं खुद मानने के लिए तैयार हूं कि यह नाकाफी है। अगर हमने असली मानों में इस प्राब्लम को टैकिल करना है और हमारी यह ख्वाहिश है कि हमारे गरीब भाई जो कि अच्छी जिन्दगी बसर नहीं कर रहे हैं, बल्कि बुरी जिन्दगी बसर कर रहे हैं, तो हमको बहुत कुछ करना होगा, और अगर कोई भाई यह कहे कि उनके लिए काफी नहीं किया गया है तो मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। कोई सरकार यह नहीं मान सकती कि उसके जो आदमी हैं, उसके जो कर्मचारी हैं या उसके जो नागरिक हैं, इन हालात में गन्दी बस्तियों में रहें, चांदनी चौक में पड़े रहें या झुग्गी झोंपड़ियों में पड़े रहें। मैं खुद इस चीज को तसलीम करता हूं कि यह ठीक नहीं है।

तो दो तीन चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं करूं। पहली बात तो मैं यह करना चाहता हूं कि अगर कोई कानूनी रुकावटें हमारे रास्ते में हैं, तो उनको दूर किया जाए, और उसके लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। इस बिल में हमने यह भी रखा है कि अगर एक मालिक इम्प्रूवमेंट नहीं करता या इम्प्रूव करने में देरी करता है तो हमने ये अख्तियार ले लिये हैं कि वह काम्पीटेंट आथारिटी इस चीज को कर सकती है। इसमें हमने मालिक को किराए के मामले में, इंसेंटिव देने के खयाल से, थोड़ी छूट भी दी है। अगर कोई मालिक गरीब आदमी का हाथ पकड़ता है और उसकी मदद करता है तो हमने इसमें यह रखा है कि वह दूसरे से ज्यादा भी वसूल कर सकता है। जहां तक गरीब किरायेदार का ताल्लुक है उसके लिए पुरानी जगह रहेगी और उसको वहां लाया जायेगा अगर वह आना चाहे। उसके लिए हमने किराए का फारमूला इसमें दे दिया है। लेकिन जहां तक दूसरे आदमियों का सवाल है उनके लिए हमने कहा है कि जहां गरीब के लिए उसे लेना पड़ेगा एक्वीजीशन कास्ट, वहां दूसरे आदमियों के लिए वह मारकेट वैल्यू भी ले सकता है ताकि उसको कुछ इंसेंटिव हो। यह चीज हमारे सामने दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने, जो कि अब हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए हैं, अपने तजरबे से रखी थी। हमने इसे स्वीकार भी कर लिया है। हमने यह भी स्वीकार कर लिया है कि मालिक नीचे के हिस्से में दुकानें बना सकता है या दफ्तर बना सकता है लेकिन ऊपर के हिस्से में वह स्लम के भाइयों के रहने के लिये जगह बना दे। और इन लोगों का किराया मुख्तलिफ होगा। तो कोशिश यह की गई है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि जो स्लम में रहने वाले हैं उनकी तकलीफ जितनी कम हो सकती है हो और मकान मालिक के लिये भी जायज फायदा उठाने का रास्ता निकल

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

जाए । तो जब यह कानून बन जाएगा और सिलेक्ट कमेटी भी तरमीमात कर चुकेगी तो हमें उम्मीद है और हाउस को भी यह उम्मीद है कि हम अपने गरीब भाइयों की मदद कर सकेंगे ।

अभी एक भाई ने जिक्र किया—वह अभी हाउस से उठकर चले गए हैं —कि आपका चेहरा तो बहुत सुन्दर है लेकिन तुम्हारे अन्दर की आत्मा मैं नहीं जानता कि अच्छी है या नहीं । तो अभी झुग्गी झोंपड़ियों में जो भाई अभी रह रहे हैं उनकी तादाद साठ हजार है । हमारे भाई बनर्जी ने उस तादाद को एक लाख तक पहुंचा दिया । परमात्मा करे कि वे गलत हों वरना इन साठ हजार का भी कोई बन्दोबस्त न हो सकेगा । आखिर दिल्ली जो ग्राफी की महदूद है, एक तरफ जमुना है, दिल्ली फैल नहीं सकती और लोगों की तादाद बढ़ रही है । तो मैं चाहता हूं कि इस प्राबलम को एक हद में महदूद करके उसे हल किया जाए । उसके लिए मैंने स्कीम निकाली है । यह सही है कि जब भी किसी को हटाया जाता है तो वह अच्छा नहीं मानता । अभी मेरे एक दोस्त ने जो रुड़की से आते हैं मेरी सराहना की कि किस तरह से मैंने शरणार्थियों को बसाया । तो हमने जो शरणार्थियों के लिए काम किया तो बतौर सरजन के किया, बतौर फिजिशियन के नहीं किया । जिस तरह से सरजन को बीमार आदमी का आपरेशन करना पड़ता है, वही हम ने किया । हर जगह शरणार्थी बसाए गए हैं, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, और दूसरी जगहों में, जैसे बिहार में बंगाल में तो हमने इसमें मुस्तैदी से काम किया । हमने जमीनें लीं, प्लान बनाए, और बस्तियां बनाकर लोगों को लेजाकर उनमें बसाया । इसी तरह से हम यहां भी काम करना चाहते हैं । हो सकता है कि कुछ लोग हमको बुरा कहें, लेकिन जो आदमी काम करता है उसको इसका ख्याल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो बुरा कहते ही हैं । अगर वह समझता है कि वह दयानतदारी से काम कर रहा है तो उसे वह काम करते रहना चाहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं ने एक सुझाव आप को दिया है कि आप उस से बुरे भी नहीं बनेंगे और काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और वह यह है कि जो लोग जहां बसे हुए हैं उनको आप अपना नक़शा दे दें और नक़शे के साथ साथ जो कुछ भी देना चाहते हैं, दान के रूप में दें । ऐसा संभव न हो तो उनको बिना ब्याज के ऋण दे दें या बहुत थोड़े ब्याज पर दें । साथ में मकान का नक़शा भी बना दें । इससे दोनों चीजें हो जायेंगी । आप की बदनामी भी नहीं होगी और मकान भी जल्दी बन जायेंगे ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं आप के सुझाव की क़दर करता हूं, मैं आपकी हर राय की बहुत क़दर करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी आप के इस सुझाव पर अवश्य गौर करेगी । वहां पर इन सब चीजों पर डिटेल में गौर कर लिया जायेगा । इस वक्त तो मैं सिर्फ जनरल बातों की तरफ जा रहा था और ये अर्ज कर रहा था कि हम इस प्राबलम को हल करना चाहते हैं ।

अभी एक, आप भाई ने जिक्र किया । पटेल साहब मौजूद हैं । ठीक है । याद आगया उन्होंने कहा कि भाई यह जो बड़े-बड़े आलीशान मकान हैं, बड़ी-बड़ी जगहें हैं, बड़े बड़े कम्पाउंड्स हैं और जो कि फालतू से पड़े हुए हैं उनका जायज इस्तेमाल क्यों नहीं करते । मैं उनकी इस बात को मानता हूं और तसलीम करता हूं कि उस में वजन है । जब से मैं ने यह विभाग लिया है मेरा यह विश्वास है और मैं समझता हूं कि मुझे सारे हाउस की सहायता होगी, साथ होगा और बाहर की भी मुझे इस में सहायता होगी और वह यह है कि हम ने

कोशिश यह करनी है कि जो गरीब आदमी हैं और झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, अगर असल मायने में हम इस देश में सोशलिस्टिक पैट्रन ग्राफ़ सोसाइटी क़ायम करना चाहते हैं तो इस भारी फ़र्क को जो कि आज मौजूद है उसको किसी हद तक कम करना होगा। अब सोशलिस्टक सोसाइटी में यह तो नहीं होगा कि अमीर तो सैंट्रल एरियाज़ में आलीशान बंगलों में बने रहें, जैसा कि वजीरों को इसके लिए ताना दिया भी जाता है, और गरीब लोग सैंट्रल एरियाज़ से बहुत दूर हो जायें।

मैं हाउस को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जो बड़े-बड़े कम्पाउंड्स पड़े हैं उन की मुझे सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानात बनाने की ज़रूरत है। मेरे पास दिल्ली में करीब ५०,००० कर्मचारी हैं जिनके कि लिए आज मकान नहीं हैं। ३५,००० के पास तो हैं लेकिन ५०,००० के पास नहीं हैं। अब आप खुद जानते होंगे कि उन बचारों का क्या हाल होता होगा। आज के ज़माने में १००, १५० या २०० रुपये माहवार कोई तनख्वाह पाता हो, बाल बच्चे हों, आप हो, दफ्दर में तमाम दिन काम करता हो और मकान के लिए उसको १००–१५० रुपया माहवार किराया इस दिल्ली में देना पड़े, जो कि ग्राम बात है, तो उस बेचारे का क्या हाल होता होगा? इसलिए बतौर हाउसिंग मिनिस्टर के जहां मुझे इन झोंपड़ी झुग्गी वालों को बसाना है, स्लम्स को साफ़ करना है वहां जो सरकारी कर्मचारी हैं, खास कर निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारी, मैं ऊपर की तरफ़ नहीं जा रहा, मैं निचले दर्जे की तरफ जा रहा हूं, उन छोटे सरकारी कर्मचारियों के लिये मुझे मकानों का बंदोबस्त करना है। मेरा इरादा यह है कि सैंट्रल एरियाज़ में जहां छोटे-छोटे मकानात बने हुए हैं उनकी जगह हम मल्टी-स्टोरीड कंसट्रक्शन कर दें। यह मल्टी-स्टोरीड कंसट्रक्शन का काम हमने पंचकुई रोड में शुरू कर दिया है और मिंटो रोड पर भी यह काम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप यह कहें कि तमाम बड़े-बड़े कम्पाउंड्स खत्म हो जायें तो वह हो नहीं सकता क्योंकि मास्टर प्लान के नीचे हर एक एरिया का ले आउट प्लान वगैरह मुकर्रर है। अगर मैं आठ मंजिली इमारत ले जाऊंगा तो ज़रूरी बात है कि यह देखना होगा कि ऐसा उसका ले आउट न हो जिससे बाद में स्लम पैदा हो जाय। दस वर्ष के बाद यह कहा जाये कि मैं यह नये स्लम्स बना गया हूं। आगे स्लम्स न बनने पायें, इसकी हमें खास होशियारी रखनी पड़ेगी। हम दिल्ली के मास्टर प्लान के मुताबिक इस चीज़ को कर रहे हैं। वह जो ज़माना था, वह जो दिल्ली आपने कहा, अंग्रजों के वक्त की दिल्ली में वह ठीक थी, लेकिन आज जो हमारी दिल्ली है वह आजाद हिन्दुस्तान की राजधानी है और मैं चाहता हूं कि इस देश की राजधानी की इमेज खराब न हो लेकिन यह ज़रूर करना पड़ेगा का जो बड़े-बड़े कम्पाउंड्स बेकार पड़े हैं उनका हमें जायज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा और उन जगहों पर हमें मल्टी-स्टोरीड कंसट्रक्शन करना पड़ेगा।

मैं ने अभी ज़िक्र किया था कि रुपये की कमी है। मैं आज हाउस के सामने एक चीज़ रखना चाहता हूं। मालूम नहीं कि मुझे कहनी चाहिये या नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि मैं उसको कह ही डालूं। अभी श्री कृष्णमाचारी जब मंत्रिमंडल में आये थे तो उनका फाइनेंस से उन वक्त कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने उन दिनों में भी कहा था कि तुम ऐसा करो कि जो सैंट्रल एरियाज़ हैं उनको गिरा दो और गिराने के बाद वहां मल्टी-स्टोरीड कंसट्रक्शन कर दो। अभी जब वह पांच मिनट पहले यहां पर आये थे तो मैं ने उनसे कहा था कि जो चीज़ आपने उस वक्त मुझे करने के लिए कही थी, उसे मैं आज करने चला हूं और

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

क्या मैं आज हाउस में यह कह दूं कि जहां तक गरीबों का ताल्लुक है, झुग्गी झोंपड़ी वालों का ताल्लुक है, स्लम्सडवेलर्स का ताल्लुक है, लोइनकमग्रुप का ताल्लुक है, और जहां तक छोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का ताल्लुक है, उनके लिए मकान बनाने के वास्ते अगर मैं आप के पास रुपये के लिये आऊंगा तो आप मेरा हाथ पकड़ेंगे या नहीं तो उन्होंने मुझे कह दिया कि हाउस में तुम इसको कह दो कि इन छोटी चीजों के लिए जितने रुपय की भी मेरे मंत्रालय को जरूरत होगी, वह उसे मुझ दे देंगे। मैं इसलिए उनका निहायत मशकूर हूं क्योंकि प्लान में जो इसके लिए रुपया रखा था वह २५ का ३५ करोड़ हो गया लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ सकता है और मेरा काम उतने में चल नहीं सकता है। प्लान के पहले वर्ष में २५ करोड़ था और प्लान के मिडटर्म में उसको बढ़ा कर २५ का ३५ करोड़ कर दिया गया और जितना बढ़ा सकता था वह बढ़ा दिया गया और उधर सीलिंग भी खत्म हो गयी। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय का इसके लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काम को पूरा करने के लिए मुजीद रुपय की मदद का वचन दिया है।

मैं समझता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी से जब बाहर आयगा तो जो भी आपके सुझाव हैं उन पर अच्छी तौर से और जो मंजूर किये जाने चाहिएं, उनको मंजूर करके एक माकूल शक्ल में यह बिल इस हाउस में आयेगा। गवर्नमेंट जाहिर है कि जो भी सुझाव आप देंगे उन पर पूरा गौर करेगी और उनको अगर वे मुनासिब मालूम हुए तो मंजूर करेगी। मैं समझता हूं कि अगर आपका मेरे साथ कोआपरेशन हो जैसा कि आपने इस बिल के ऊपर दिखाया है और रुपया मुझे फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिल जाय तो जिस तरह से आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैं ने शरणार्थियों को बसा दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं स्लम क्लिअरेंस स्कीम और इस हाउसिंग के काम को मुस्तैदी से कर सकूंगा और कोशिश यह करूंगा कि इन गरीब लोगों का मैं कुछ सहारा बन जाय और उनका इंतजाम हो जाय।

श्री स० मो० बनर्जी : अभी किराये जो ज्यादा लिय जाते हैं उसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा।

श्री मेहरचन्द खन्ना : सेलेक्ट कमेटी को यह बिल जा रहा है वहां इस पर और दूसरी और सब बातों पर डिटेल में विचार किया जायगा।

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to amend the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 24 members, 16 from this House, namely:—Shri Dinen Bhattacharya; Chaudhry Brahm Perkash; Shri Yudhvir Singh Chaudhary; Shri Ganapati Ram; Maharani Gayatri Devi of Jaipur; Shri Shiv Charan Gupta; Pandit Jwala Prasad Jyotishi; Shri Narayan Sadoba Kajrolkar; Shri Mehr Chand Khanna; Shri Mohan Swarup; Shri P. S. Naskar; Shri Kashi Nath Pandey; Shri M. Thirumala Rao; Shri Sidheshwar Prasad; Dr. P. Srinivasan and Shri Naval Prabhakar and 8 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the 9th December, 1963;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 8 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

16.47 hrs.

EAST PUNJAB AYURVEDIC AND UNANI PRACTITIONERS (DELHI AMENDMENT) BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1949 as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Bill was discussed on the 4th December, 1962 in the Rajya Sabha at great length and it was passed. This was in pursurance of an Act which was passed in 1949. That Act, known by the name of the East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act has been extended to Delhi. The substance of it is this.

The Act provides for the registration of all practitioners who are practising *ayurveda* and *unani*. According to this Act, all people who are practising must get themselves registered or enlisted. Without doing so, they would be liable to prosecution. There are two or three important sections of this Act. Section 16(1) deals with qualified practitioners. Hon. Members know there are so many varieties of doctors in *unani* as well as *ayurveda* who are qualified with GCIM, DIMS, Ayurvedacharya and certain other qualifications. They come under section 16(1). They are all qualified practitioners and registered under section 16(1). There is no difficulty about them.

There is another section 16(2) which provides for practitioners who are not qualified. They are practising for a number of years. They could not get any qualifications, but all the same they are practising. That is why section 16(2) was provided for them. Under this section all those practitioners, *ayurveda* and *unani*, who had been practising for ten years could get themselves registered. There are still some more doctors, *vaids* and *hakims* who, unfortunately, do not come under this provision also. For them a special section, section 34(2) was provided which stipulated that if they could prove at the time of registration or enlistment that they were in actual practice before the registrar, their names could be entered in a list This is the third category. This is called 'enlistment'. They can also practise. So far all these various categories of practitioners of *ayurveda* and *unani* these three sections have been provided according to this Act which came into force in the year 1954.

Several doctors have registered or enlisted themselves under these various categories. But, subsequently, a few *vaids* and *hakims* could not get themselves registered. So the question arose as to their prosecution. But the Board of Indian Medicine—*ayurveda* and *unani*—for Delhi thought it wise not to prosecute them because they are small practitioners earning Rs. 100 or so and they thought if they are prosecuted it will be very hard upon them and they will be subject to unnecessary harassment. That is why an extension is sought to be given to them by means of this amending Bill. We propose to give them another six months' time to get themselves either registered or enlisted.

It appears there are about 300 more *hakims* and *vaids*. This Bill was passed in the Rajya Sabha on 4th